

**अध्याय-2**  
**निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा**  
**(राजस्व क्षेत्र)**



## अध्याय-2

### क. सामान्य

#### 2.1 कर प्रशासन

##### 2.1.1 बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर

बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर को सरकार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव द्वारा सरकार के स्तर पर प्रशासित किया जाता है। वाणिज्य कर विभाग का पूर्ण नियंत्रण और देखरेख का कार्य वाणिज्य कर आयुक्त को सौंपा गया है। उसकी सहायता करों के तीन अपर आयुक्त (जम्मू व कश्मीर मंडल में एक-एक तथा कर योजना में एक) और वाणिज्य करों के 13 उप आयुक्त (जम्मू: 06; कश्मीर: 05; तथा मुख्यालय के लिए और न्यायिक मामलों के लिए एक-एक) द्वारा की जाती है। राज्य को 52 वाणिज्य करों के क्षेत्र (जम्मू: 25; कश्मीर: 27) में बाँटा गया है जिसका प्रधान एक वाणिज्य कर अधिकारी होता है।

##### 2.1.2 राज्य आबकारी

जम्मू व कश्मीर आबकारी विभाग जम्मू व कश्मीर आबकारी अधिनियम, 1901 तथा इसके अन्तर्गत जारी नियमों के अन्तर्गत आबकारी शुल्कों को प्रभारित करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग का प्रधान आबकारी तथा कराधान आयुक्त है जिसकी सहायता पांच आबकारी उपायुक्त (04: जम्मू; 01: कश्मीर) और आठ आबकारी एवं कराधान अधिकारी (06: जम्मू; 02: कश्मीर) द्वारा की जाती है। आबकारी एवं कराधान अधिकारी डिस्टिलरी, जम्मू के अधिकार क्षेत्र में 20 डिस्टिलरी बॉटलिंग प्लांट आते हैं।

##### 2.1.3 वाहनों, वस्तु एवं यात्रियों पर कर

परिवहन विभाग की प्राप्तियों को केन्द्र तथा राज्य मोटर अधिनियम तथा इसके अंतर्गत जारी नियमों और परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विनियमित किया जाता है। वस्तु एवं यात्री कर की प्राप्तियों को जम्मू व कश्मीर मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1957 और जम्मू व कश्मीर मोटर वाहन नियम 1991 के अन्तर्गत राज्य के परिवहन आयुक्त द्वारा प्रशासित किया जाता है।

#### 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहनों और विधि विभागों की 61 इकाईयों के अभिलेखों की वर्ष 2016-17 के दौरान की गई नमूना जांच से कुल ₹316.16 करोड़ न्यून कर निर्धारण/ कम उगाही/ राजस्व हानि के 763 मामलों का पता चला जिसका विवरण तालिका-2.1 में है:

तालिका-2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
<b>बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/ वैट</b>			
1.	कर का कम निर्धारण	64	29.71
2.	बिक्री/ खरीद के छिपाव के कारण कर चोरी	154	13.68
3.	इनपुट कर क्रेडिट की अनियमित/ गलत/ अधिक अनुमति	44	3.00
4.	राजस्व के बकायों के संकलन की प्रणाली	12	166.72
5.	अन्य अनियमितताएं	87	30.68
	<b>कुल</b>	<b>361</b>	<b>243.79</b>
<b>राज्य आबकारी</b>			
1.	उत्पाद शुल्क की गैर/ कम उगाही	1	0.55
2.	अनुज्ञप्ति शुल्क/ ब्याज/ जुर्माने की गैर/ कम उगाही	1	0.02
3.	टोल टैक्स का संकलन	1	2.29
4.	अन्य अनियमितताएं	37	1.48
	<b>कुल</b>	<b>40</b>	<b>4.34</b>
<b>वाहनों, वस्तु एवं यात्रियों पर कर</b>			
1.	गैर/ कम उगाही • टोकन कर और संयुक्त फीस • यात्री एवं वस्तु कर	8	12.93
2.	अन्य अनियमितताएं • वाहन कर	79	54.01
	<b>कुल</b>	<b>87</b>	<b>66.94</b>
<b>स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क</b>			
1.	संपत्ति का अधिमूल्यन/ कम उद्ग्रहण	216	0.77
2.	गैर लेखाकरण/ कम लेखाकरण/ कम कटौती	44	0.14
3.	अन्य अनियमितताएं	15	0.18
	<b>कुल</b>	<b>275</b>	<b>1.09</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>763</b>	<b>316.16</b>

वर्ष 2016-17 तथा पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विभाग द्वारा ₹57.74 लाख का राजस्व वर्ष के दौरान वसूला गया।

## ख. निष्पादन लेखापरीक्षा

### वित्त विभाग

#### 2.3 सेवाओं पर कर का उद्ग्रहण, निर्धारण तथा संकलन

##### मुख्य बिन्दु

- जम्मू व कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सेवाओं को वस्तुओं के रूप में निर्धारण उपरांत कर संकलन के लक्ष्यों का नियतन न किया जाना तथा संविदा कार्यों के अतिरिक्त अधिसूचित सेवाओं से राजस्व में वृद्धि द्वारा कर आधार के विस्तार की विफलता से यह ज्ञात होता है कि कर योजना पर्याप्त नहीं थी।

(पैराग्राफ: 2.3.6)

- टीडीएस का सरकारी खातों में समय से जमा किया जाना और कार्य ठेकों की प्रतियों का जमा कराया जाना लागू नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹6.79 करोड़ के जुर्माने का आरोपण नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त टीडीएस कटौती की दरों के अनुचित अनुप्रयोग से लगभग ₹1.23 करोड़ की कम कटौती हो पाई।

(पैराग्राफ: 2.3.7)

- मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा दोषयुक्त टीडीएस प्रमाणपत्रों पर कर क्रेडिट की अनुमति प्रदान की गई और व्यापारियों द्वारा विवरणी देरी से जमा किए जाने पर ₹46.44 लाख की शास्ति का आरोपण नहीं किया गया। व्यापारियों द्वारा खरीद स्टॉक के छिपाव और कर के भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप ₹10.12 करोड़ के कर और ब्याज की कम उगाही हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.8)

- व्यापारियों से कर की वसूली/ विवरणियों की निगरानी की कमी के कारण सरकार को ₹1.21 करोड़ का न्यूनतम राजस्व घाटा हुआ, इसके अतिरिक्त लगभग ₹59.97 लाख के कर मांग की गैर/ कम उगाही हो पाई। विभाग द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों को टीडीएस का आबंटन और सभी के द्वारा तिमाही विवरणी जमा किए जाने की आवश्यकता को लागू नहीं किया गया।

(पैराग्राफ: 2.3.9 और 2.3.10)

#### 2.3.1 प्रस्तावना

वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय-V के अन्तर्गत कर योग्य सेवाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा उद्ग्रहण योग्य सेवा कर जम्मू व कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता। राज्य सरकार द्वारा सेवाओं पर कराधान को मार्च 1997 से प्रभावी जम्मू व कश्मीर सामान्य बिक्री कर (जेएण्डके जीएसटी) अधिनियम 1962 की परिधि में लाया गया। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाओं पर कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संकलन और

वसूली जम्मू व कश्मीर जीएसटी अधिनियम 1962 के प्रावधानों, इसके अन्तर्गत जारी नियमों और समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार शासित होती है। सरकार द्वारा जम्मू व कश्मीर जीएसटी अधिनियम 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत मार्च 1997 से फरवरी 2017 तक प्रभावी 31 सेवाएं अधिसूचित की गईं जिनमें 11 सेवाएं भी सम्मिलित हैं जिनको 2012-13 से 2016-17 के दौरान जोड़ा गया (परिशिष्ट-2.1)। जम्मू व कश्मीर जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं पर वस्तुओं के रूप में कर लगाया जाता है। चूंकि संघीय सेवा कर अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य पर लागू नहीं था अतः राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं को वस्तु घोषित कर जम्मू व कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के द्वारा विभिन्न सेवाएं कर की परिधि में लाई गईं।

### 2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

वाणिज्यिक कर विभाग की पूर्ण कार्यप्रणाली के लिए आयुक्त-सह-सचिव, वित्त उत्तरदायी है। वाणिज्य कर विभाग का नियंत्रण और अधीक्षण वाणिज्य कर आयुक्त में निहित है और उनकी सहायता हेतु विभाग के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु वाणिज्य करों के तीन<sup>1</sup> अपर आयुक्त और वाणिज्य करों के 11 उप आयुक्त हैं। राज्य को 52 वाणिज्य कर सर्किल (सीटीसी)<sup>2</sup> में बांटा गया है, प्रत्येक का प्रधान एक वाणिज्य कर अधिकारी (सीटीओ) होता है। इस 52 सीटीसी में से दो सीटीसी अनन्य रूप में ('एच' श्रीनगर और 'ओ' जम्मू) निर्माण कार्य ठेकों के क्रियान्वयन रूप में सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए व्यापारियों के मूल्यांकन का कार्य देखते हैं।

### 2.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य इनका आंकलन था:

- अधिनियम में सांविधिक प्रावधानों, नियमों और सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की पर्याप्तता;
- अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और अधिसूचनाओं का किस सीमा तक अनुपालन हुआ;
- अधिसूचित सेवाओं की संख्या की तुलना में कर आधार को बढ़ाने के साथ सेवाओं पर कर की उगाही, निर्धारण और संकलन;
- विवरणियों की प्राप्तियों की प्रणाली, उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा कर की कटौती तथा जमा किया जाना; और

<sup>1</sup> 1. वाणिज्यिक कर के अपर आयुक्त कश्मीर 2. वाणिज्यिक कर के अपर आयुक्त जम्मू 3. वाणिज्यिक कर (योजना) के अपर आयुक्त

<sup>2</sup> जम्मू डिवीजन: 25; कश्मीर डिवीजन: 27

- विभाग में निगरानी और नियंत्रण प्रणाली की पर्यप्तता।

### 2.3.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को निम्नलिखित मापदंडों के प्रति बेंचमार्क किया गया:

- जम्मू व कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1962 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1958
- सरकार द्वारा सेवाओं पर कर से संबंधित समय-समय पर जारी एसआरओ<sup>3/</sup> अधिसूचनाएं

### 2.3.5 कार्य क्षेत्र और लेखापरीक्षा प्रक्रिया

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि को शामिल करते हुए 'सेवाओं पर कर' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सामाजिक, सामान्य, आर्थिक (गैर-पीएसयू) और राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष की प्रतिवेदन (2013 की सं.1) में वर्णित किया गया था जिसपर अभी तक लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान आयुक्त/ अपर आयुक्तों (कश्मीर/ जम्मू), आठ<sup>4</sup> नमूनित सीटीसी<sup>5</sup> के कार्यालयों में अभिलेखों की 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए सेवाओं पर कर की उगाही, निर्धारण तथा संकलन के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी। लेखापरीक्षा जांच के लिए व्यापारियों का चयन सीटीसी के मूल्यांकन प्राधिकारियों (एए) की मूल्यांकन तथा टर्नओवर के आधार पर किया गया।

वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मापदंड, कार्यक्षेत्र और इकाईयों के चयन हेतु अपनाई गई कार्य प्रणाली को व्याख्या/ चर्चा करने के लिए जनवरी 2017 में एक एंटी कान्फ्रेंस आयोजित की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप सरकार को अगस्त 2017 में भेजा गया। वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ 17 नवम्बर 2017 को एग्जिट कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विभागीय प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए उत्तर को प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है। हम वाणिज्य कर विभाग को निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए सहयोग हेतु आभार व्यक्त करते हैं।

<sup>3</sup> सदरे रियासत के आदेश

<sup>4</sup> सर्किल 'ओ' जम्मू, कठुआ, उधमपुर 'I' और 'II', 'एच' श्रीनगर, अनंतनाग-I, कुपवाड़ा और बारामूला

<sup>5</sup> मूल्यांकनों की संख्या पर आधारित

## 2.3.6 कर प्रशासन के मामले

### 2.3.6.1 अधिसूचित सेवाओं की स्थिति

31 अधिसूचित सेवाओं में से 15 सेवाएं मार्च 2017 तक या तो न्यायालय द्वारा स्थगन या मुकदमेबाजी के अन्तर्गत थी तथा इसे मुख्यतः अधिनियम में वर्णित अनुसार वस्तुओं की परिभाषा अथवा समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना एसआरओ 117 तथा वस्तुओं के रूप में सेवाओं में उनकी कवरेज के कारण चुनौती दी गई थी। 2007 से 2017 तक की अवधि के दौरान कुछ सेवाओं के समावेशन अथवा बहिष्करण के कारण निरंतर बदलाव होते रहे, (जैसा कि **परिशिष्ट-2.2** में वर्णित किया गया है)।

### 2.3.6.2 सेवाओं पर कर से राजस्व का संकलन

सेवाओं पर कर के संकलन के लक्ष्यों का निर्धारण न तो सरकार द्वारा और न ही वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त द्वारा किया गया यद्यपि इस मुद्दे को सरकार/विभाग के ध्यान में मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन द्वारा लाया गया था। विभाग के अभिलेखों के अनुसार 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा सेवाओं पर कर के संकलन से प्राप्त राजस्व निम्नलिखित था:

तालिका-2.3.1: सेवाओं पर कर से राजस्व संकलन

वर्ष	अधिसूचित सेवाओं की संख्या	लागू कर की दरें <sup>6</sup> (प्रतिशत)	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	वसूला गया राजस्व <sup>7</sup> (₹ करोड़ में)	प्रति व्यापारी वसूला गया औसत राजस्व (₹. लाख में)	निर्माण कार्य ठेकों से संकलित राजस्व	
						(₹ करोड़ में)	वसूले गये राजस्व के प्रतिशत के रूप में
2012-13	23	10.50	20,548	1,001.65	4.87	931.51	93
2013-14	26	10.50	22,253	1,104.26	4.96	1,012.22	92
2014-15	26	10.50	23,775	884.52	3.72	785.86	89
2015-16	29	12.60	26,393	1,236.76	4.68	1,096.15	89
2016-17	31	12.60	27,059	1,686.81	6.23	1,408.84	84

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

सेवाओं पर कर का संकलन 2014-15 के दौरान मामूली रूप में घटा तथा अधिसूचित सेवाओं, व्यापारियों की संख्या और कर की दरों में वृद्धि के बावजूद 2012-13 से

<sup>6</sup> 5 प्रतिशत के अधिभार सहित

<sup>7</sup> विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए प्रदान किए गए आंकड़े विभाग द्वारा पूर्व में प्रदान किए गए आंकड़ों से भिन्न हैं जो राज्य वित्त प्रतिवेदनों में शामिल किए गए थे

2015-16 के दौरान लगभग स्थिर रहा। जबकि 2016-17 के दौरान 36 प्रतिशत की वृद्धि रही। निर्माण कार्य ठेकों पर सेवा कर जिनकी स्रोत पर कटौती सरकारी विभागों द्वारा मुख्यतः निर्माण कार्य ठेके पर की जाती है, इस अवधि के दौरान संकलित कुल सेवा कर का लगभग 84 से 93 प्रतिशत था। 30 अन्य सेवाओं से कर का संकलन अल्प तथा 7 और 16 प्रतिशत के बीच रहा। हालांकि निर्माण कार्य ठेकों से अलग सेवाओं से संकलित सेवा कर का भाग 2015-16 में 11 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 16 प्रतिशत हो गया, इन सेवाओं में कर निवेश में और सुधार की गुंजाइश थी।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि:

- टीवी और रेडियो कार्यक्रम प्रोडक्शन के द्वारा सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापारियों से कर संकलन, अधिसूचित होने और मुकदमे बाजी के अन्तर्गत न होने पर भी शून्य रहा। इसके अलावा केवल 2014-15 के दौरान प्रसारणों, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ऑपरेटरों से ₹0.15 लाख का अल्प संकलन हो पाया।
- कश्मीर डिवीजन में आर्किटेक्ट, विज्ञापन, होर्डिंग और प्रोपर्टी डीलर/ रीयल इस्टेट एजेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से कर संकलन शून्य रहा, जबकि जम्मू क्षेत्र में 2012-13 में यह ₹1.98 लाख से बढ़कर 2016-17 (जनवरी 2017 तक) में ₹24.20 लाख हो गया।

### 2.3.7 अनुपालन संबंधी मामले

जम्मू व कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 की धारा 16सी में उल्लिखित आधार पर राज्य में सेवाएं<sup>8</sup> प्रदान करने वाले व्यापारियों से कर की कटौती राज्य/ केन्द्र सरकार के विभागों प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों इत्यादि के डीडीओ द्वारा की जाती है। इन व्यापारियों के टर्नओवर का वार्षिक मूल्यांकन वाणिज्य कर विभाग के क्षेत्राधिकार वाले मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। टीडीएस का सरकारी खातों में समय से जमा किया जाना और निर्माण कार्य ठेकों का प्रस्तुत किया जाना प्रभावी नहीं बनाया गया, परिणामस्वरूप ₹6.79 करोड़ की शास्ति का आरोपण नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त टीडीएस कटौती की दरों के अनुचित अनुप्रयोग से लगभग ₹1.23 करोड़ की कम कटौती हो पाई। विवरण अग्रलिखित है:

#### 2.3.7.1 कर की गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण कर की कम कटौती

जम्मू व कश्मीर के सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 की धारा 16सी (4) में प्रावधान है कि कर योग्य वस्तुओं के बिक्री मूल्य को व्यापारी के खातों में जमा करने के समय उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर की उपयुक्त दरों पर कटौती नकद रूप, बैंक या ड्राफ्ट जारी कर या अन्य निर्धारित माध्यम द्वारा की जाएगी। वस्तुओं पर कर

<sup>8</sup> निर्माण कार्य ठेकों सहित

की दरें<sup>9</sup> 01 अप्रैल 2015 से 10.50 प्रतिशत से बढ़ाकर<sup>10</sup> 12.60 प्रतिशत कर दी गई थी।

अपर आयुक्तों (कश्मीर व जम्मू) के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2017) से ज्ञात हुआ कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान व्यापारियों/ ठेकेदारों को किए गए ₹23.08 करोड़ के भुगतान पर 23 डीडीओ/ उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा स्रोत पर की जाने वाली ₹2.91 करोड़ की कटौती के बजाय ₹2.41 करोड़ की कर की कटौती की गई (परिशिष्ट-2.3)। इसके परिणामस्वरूप सेवा कर की ₹0.50 करोड़ की कम कटौती की गई।

अपर आयुक्त (कश्मीर) द्वारा उत्तर दिया गया (जुलाई 2017) कि मामले को संबंधित पक्ष के सम्मुख उठाया गया और इसके परिणाम को लेखापरीक्षा विभाग को भेजा जाएगा। हालांकि अपर आयुक्त (जम्मू) ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि कम कटौती की गई राशि और शास्ति की वसूली के लिए कार्रवाई कारण बताओ नोटिस जारी करके शुरू की गई थी।

### 2.3.7.2 कुछ निर्माण कार्य ठेकों से कर की कम कटौती

सरकार के 6 जून 2008 के आदेशों<sup>11</sup> के अनुसार 4.2 प्रतिशत की रियायती दर<sup>12</sup> पर उन ठेकेदारों से कर कटौती की जानी थी जो केवल 31 मार्च 2007 तक संस्वीकृत और/ या ठेकागत (आबंटित) केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं<sup>13</sup> के निर्माण कार्य ठेकों के क्रियान्वयन में शामिल थे। यह रियायत 1 अप्रैल 2007 के बाद की इन योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृत और/ या ठेकागत परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य ठेकों को नहीं दी गई थी।

अपर आयुक्त कश्मीर/ जम्मू के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि दो<sup>14</sup> डीडीओ के द्वारा 4.2 प्रतिशत की रियायती दर पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)/ एशियाई विकास बैंक (एडीबी) निर्माण कार्य ठेके जोकि निर्धारण तिथि 31 मार्च 2007 के बाद संस्वीकृत/ आबंटित हुए थे, पर 2012-13 और 2013-14 के दौरान कर की कटौती की गई। 10.5 प्रतिशत की बजाय 4.2 प्रतिशत की रियायती दर पर कर की कटौती के परिणामस्वरूप ₹39.22 लाख की

<sup>9</sup> 5 प्रतिशत की दर से अधिभार शामिल करना

<sup>10</sup> एसआरओ 105 दिनांक 31 मार्च 2015 के अन्तर्गत

<sup>11</sup> एसआरओ 170 दिनांक 6 जून 2008 के द्वारा जारी

<sup>12</sup> अधिभार 5 प्रतिशत की दर से सम्मिलित

<sup>13</sup> पीएमजीएसवाई, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम), मुगल रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के तहत वित्त पोषित परियोजनाएं

<sup>14</sup> कार्यकारी अभियंता पीएमजीएसवाई डिवीजन उधमपुर: ₹24.99 लाख; मुख्य लेखा अधिकारी जम्मू कश्मीर, ईआरए: ₹14.23 लाख

कम कर कटौती हुई। अपर आयुक्त, कश्मीर ने उत्तर दिया (जुलाई 2017) कि मामले को संबंधित पक्ष के साथ उठाया गया है और इसके परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। हालांकि अपर आयुक्त, जम्मू द्वारा कोई उत्तर नहीं भेजा गया था।

अपर आयुक्त, जम्मू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2017) से भी ज्ञात हुआ कि अक्टूबर 2013 में आबंटित 'स्लिप्स और स्लाइड्स को हटाना' के कार्य के संबंध में ठेकेदार को दिसम्बर 2013 और मार्च 2014 के दौरान किए गए ₹5.34 करोड़ के भुगतान पर कार्यकारी अभियंता मुगल रोड़ डिवीजन पूछ द्वारा 10.5 प्रतिशत की लागू दर के स्थान पर 4.2 प्रतिशत की दर से कर कटौती की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹33.65 लाख के कर की कम कटौती हो पाई। अपर आयुक्त जम्मू ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि राशि की वसूली तथा शास्ति के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गयी थी।

### 2.3.7.3 कर जमा कराने में देरी पर शास्ति का अनारोपण एवं गैर वसूली

धारा 16(सी) (6) में प्रावधान है कि उप धारा 4 के अन्तर्गत काटे गए कर को कटौती के 15 दिनों के अन्दर खजाने में जमा करना होगा और धारा 16(सी) (11) में आगे वर्णित है कि उप धारा 4 के अन्तर्गत यदि व्यक्ति द्वारा कटौती के उपरांत आवश्यक कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह किसी अन्य परिणाम के जो उसके साथ हो सकते हो, के पूर्वाग्रह के बिना कटौती की गई कर की राशि से दोगुनी राशि के बराबर धनराशि शास्ति स्वरूप भुगतान हेतु दायी होगा और अधिनियम के सभी प्रावधान जहां तक भी इस पर लागू होते हैं ऐसी धनराशि को वसूली हेतु लागू होंगे।

अपर आयुक्त के जम्मू कार्यालय में व्यक्तियों द्वारा स्रोत पर कर की कटौती कर जमा की गई तिमाही विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2017) से ज्ञात हुआ कि बारह<sup>15</sup> व्यक्तियों द्वारा कटौती किए गए ₹2.32 करोड़ कर को 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा नहीं किया गया तथा देरी की सीमा 3 दिनों से 160 दिनों के बीच थी जिसके लिए वे ₹4.64 करोड़ की शास्ति हेतु उत्तरदायी थे, हालांकि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग द्वारा शास्ति का आरोपण नहीं किया गया। अपर आयुक्त जम्मू ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि शास्ति की वसूली हेतु कार्यवाही शुरू कर दी गई और संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

<sup>15</sup> जेएंडके एसआईसीओपी, कार्यकारी अभियंता विशेष उपमंडल (पीआईयू) मारवाह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन खैलानी डोडा, जीई परियोजनाएं उधमपुर, कार्यकारी अभियंता पीएमजीएसवाई रामबन, बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, नगर समिति डोडा, कार्यकारी अभियंता ईएम एंड आरई प्रभाग-III जम्मू, कार्यकारी अधिकारी नगर समिति रियासी, कार्यकारी अभियंता पीएमजीएसवाई उधमपुर-II रियासी, गैरिसन इंजीनियर बसोहली, कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी आरएंडबी डिवीजन छात्र

#### 2.3.7.4 निर्माण कार्य ठेकों की प्रतियों को प्रस्तुत न करना और शास्ति का अनारोपण

जेएण्डके साधारण सेवा कर अधिनियम 1962 की धारा 16(सी) (15) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति निर्माण कार्य ठेकों की प्रति को मूल्यांकन प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए जमा/ प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह प्रति ठेका ₹5,000 की धनराशि शास्ति के रूप में भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा/ होगी।

अपर आयुक्त जम्मू के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2017) से ज्ञात हुआ कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान पूरे किए गए 4,292 ठेकों की प्रतियां 23 डीडीओ से प्राप्त नहीं हुईं और मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा इन चूककर्ता डीडीओ के विरुद्ध ₹2.15 करोड़<sup>16</sup> शास्ति का आरोपण नहीं किया गया था। अपर आयुक्त जम्मू ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि निर्माण कार्य ठेकों की प्रति को जमा करने हेतु डीडीओ को नोटिस जारी किए गए हैं।

#### 2.3.8 व्यापारियों के मूल्यांकन की प्रणाली

जेएण्डके जीएसटी नियम 1962 के नियम 15 में प्रावधान है कि वार्षिक विवरणी, जैसा कि धारा 7 में आवश्यक है व्यापारी (सेवा प्रदायक) द्वारा भरी जाती है, फॉर्म एसटी-12 में होगी तथा फॉर्म एसटी-12ए में तुलन पत्र, फॉर्म एसटी-12बी में निर्माण तथा लाभ और हानि लेखे (जहां भी लागू हो) और फॉर्म एसटी-12सी में व्यापार तथा लाभ और हानि लेखे के साथ होगी। मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य अभिलेखों जैसे व्यापारियों के तुलन पत्र, व्यापार/ लाभ हानि लेखे/ खरीद विवरण जो कि टर्नओवर छिपाने के जोखिम के सुग्राह्य थे, को प्राप्त किए बिना मांग विवरणी और टीडीएस प्रमाण पत्रों के आधार मूल्यांकन पर किया गया। यह भी देखा गया कि मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा दोषयुक्त टीडीएस प्रमाण पत्रों पर कर क्रेडिट की अनुमति प्रदान की गई और व्यापारियों द्वारा विवरणी देरी से जमा किए जाने पर भी ₹46.44 लाख की शास्ति का आरोपण नहीं किया गया। व्यापारियों द्वारा खरीद/ भण्डार के छिपाव और कर भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप ₹10.12 करोड़ के कर और ब्याज की कम उगाही हुई है जैसा कि नीचे वर्णित है:

#### 2.3.8.1 व्यापारियों द्वारा खरीद का छिपाव

आठ<sup>17</sup> सीटीसी में लेखापरीक्षा द्वारा 31 व्यापारियों के खरीद विवरणी और व्यापार खातों के 'सी' फॉर्म उपभोग के साथ प्रति जांच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 से संबंधित, 2015-16 और 2016-17 के दौरान मूल्यांकित ₹24.60 करोड़ मूल्य की खरीद और भण्डार को खरीद विवरणी/ व्यापार खातों में लेखागत नहीं किया

<sup>16</sup> प्रति ठेका ₹ 5,000 की दर पर

<sup>17</sup> सर्किल 'ओ' जम्मू, उधमपुर-1 और 'II', कठुआ, 'एच' श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला और अनंतनाग-1

गया था। इन 31 मामलों में खरीद और भण्डार के छिपाव के परिणामस्वरूप ₹9.79 करोड़<sup>18</sup> के कर, ब्याज और शास्ति की उगाही नहीं हो पाई।

इस मुद्दे को उठाए जाने पर सीटीओ सर्किल 'ओ' जम्मू ने उत्तर दिया (मई 2017) कि अन्तरराज्यीय खरीद विवरणी के सम्मुख 'सी' फॉर्म की उपभोग विवरणी को छिपाव नहीं माना जा सकता जैसा कि 'सी' फॉर्म घोषणा को व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अभिलेखों में दर्ज किया जाता है।

मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर इस तथ्य के कारण तर्कसंगत नहीं है कि 'सी' फॉर्म के विरुद्ध घोषित खरीद को व्यापारी द्वारा अपनी लेखा बही में वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान लेखागत नहीं किया गया था। हालांकि सीटीओ उधमपुर-II ने बताया (जून 2017) कि मामले पर ध्यान दिया जाएगा और अधिनियम के अन्तर्गत न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी। कुपवाड़ा और बारामुला सर्किल सीटीओ ने बताया (मई 2017 और जुलाई 2017) कि संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध मांग उठाई जाएगी। सीटीओ सर्किल 'एच' श्रीनगर ने बताया (सितम्बर 2017) कि व्यापारियों के विरुद्ध सांविधिक नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

### 2.3.8.2 दोषयुक्त टीडीएस प्रमाण पत्रों पर कर क्रेडिट को अनुमति

मूल्यांकन अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि चार<sup>19</sup> सीटीसी के मूल्यांकन प्राधिकारियों द्वारा 2011-12 से 2013-14 के दौरान 26 व्यापारियों से ₹7.59 करोड़ धनराशि के टीडीएस प्रमाण पत्र (एसटी-60) यह सत्यापित किए बिना ही स्वीकार किए गए कि काटी हुई धनराशि सरकारी खातों में प्रेषित की गई है। टीडीएस के सरकारी खातों में जमा किए जाने संबंधी विवरण इन प्रमाण पत्रों में दर्ज नहीं था जिसका अर्थ है कि ये टीडीएस प्रमाण पत्र सत्यापन योग्य नहीं थे।

### 2.3.8.3 व्यापारियों द्वारा विवरणियों के देरी से जमा किए जाने पर शास्ति का आरोपण न किया जाना

जम्मू व कश्मीर जीएसटी अधिनियम 1962 की धारा 7 के अनुसार कर भुगतान के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यापारी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अपने टर्नओवर पर देय कर के भुगतान के सबूत के साथ संबंधित तिमाही और वार्षिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के क्रमशः 30 दिन और 120 दिनों की समयावधि में तिमाही और वार्षिक

<sup>18</sup> सीटीओ सर्किल 'ओ' जम्मू: 10 मामले, ₹4.43 करोड़; उधमपुर-I: 2 मामले, ₹0.19 करोड़; उधमपुर-II: 2 मामले, ₹2.25 करोड़; कठुआ: 10 मामले, ₹1.40 करोड़; 'एच' श्रीनगर: 2 मामले, ₹0.91 करोड़; कुपवाड़ा: एक मामला, ₹0.01 करोड़; बारामुला: एक मामला, ₹0.01 करोड़ और अनंतनाग-I: 3 मामले, ₹0.59 करोड़

<sup>19</sup> सीटीओ सर्किल 'ओ' जम्मू: 4 मामले, ₹4.44 करोड़; उधमपुर-I: 8 मामले, ₹0.66 करोड़; उधमपुर-II: 3 मामले, ₹0.84 करोड़; कठुआ: 11 मामले, ₹1.65 करोड़

विवरणी को जमा किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 17(1) (बी) में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी तर्कसंगत कारण के अपनी विवरणी जमा करने में असफल रहता है जैसा कि धारा 7 की उप धारा (1), (2) या (3) के अन्तर्गत आवश्यक है या दिये गए समय के अन्तर्गत जमा करने में असफल रहता है, तो उपयुक्त प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को कर के अतिरिक्त देय कर की दो प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान में चूक की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 8 की उप धारा 3 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में भुगतान किए गए कर की राशि या भुगतान में चूक के लिए प्रतिमाह ₹1,000, जो भी अधिक है से हटा कर भुगतान करने का निर्देश देगा।

सात<sup>20</sup> सीटीओ के मूल्यांकन अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 71 व्यापारियों ने लेखा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत 266 विवरणियाँ जमा नहीं की थीं और व्यापारियों पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक शास्ति आरोपित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹46.44 लाख तक की शास्ति की उगाही नहीं हो पाई। बारामूला सीटीओ ने बताया (जुलाई 2017) कि जीएसटी अधिनियम 1962 का भविष्य में कड़ाई से पालन किया जाएगा। मूल्यांकन प्राधिकारी सर्किल 'ओ' जम्मू ने व्यापारियों द्वारा देरी से जमा की गई विवरणियाँ स्वीकार कर लीं लेकिन सूचना दी कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय के अनुसार शास्ति की उगाही अनिवार्य नहीं बल्कि विवेकाधीन है, जिसके आधार पर विवरणियों के देरी से जमा करने पर कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जेएण्डके जीएसटी अधिनियम मूल्यांकन प्राधिकारी की विवेकाधीन शक्तियों के विषय में मौन है और यह सरकारी धन की रक्षा के लिए आरोपित की जानी चाहिए थी।

#### 2.3.8.4 कर के भुगतान की देरी के ऊपर ब्याज का गैर उद्ग्रहण

जे एण्ड के जीएसटी अधिनियम 1962 की धारा 7 (2) और 8 (3) में दिया गया है कि एक व्यापारी द्वारा त्रैमासिक देय कर का त्रैमासिक विवरणी के जमा करने से पहले भुगतान किया जाएगा जो कि उस तिमाही की समाप्ति के 30 दिन बाद नहीं हो। अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत व्यापारी कर भुगतान में देरी के लिए दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

<sup>20</sup> सर्किल 'ओ' जम्मू: 15 मामले, 39 रिटर्न, जुर्माना: ₹10.84 लाख; उधमपुर-I: 18 मामले, 67 रिटर्न, जुर्माना: ₹12.69 लाख; उधमपुर-II: 10 मामले, 46 रिटर्न, जुर्माना: ₹7.49 लाख; कठुआ: 8 मामले, 34 रिटर्न, जुर्माना: ₹11.42 लाख; 'एच' श्रीनगर: एक मामला, 4 रिटर्न, जुर्माना: ₹0.20 लाख; बारामूला: 5 मामले, 20 रिटर्न, जुर्माना: ₹1.00 लाख; अनंतनाग-I: 14 मामले, 56 रिटर्न, जुर्माना: ₹2.80 लाख

सीटीसी उधमपुर-1 में एक व्यापारी के मूल्यांकन अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल/ मई 2017) से ज्ञात हुआ कि 2011-12 की पहली तिमाही के लिए ₹16.68 करोड़ का कर व्यापारी द्वारा कर जमा करने की अंतिम तिथि के बाद 1 अगस्त 2011 को जमा किया गया था। मूल्यांकन प्राधिकारी ने व्यापारी का मूल्यांकन (मार्च 2016) करते समय कर की देरी से भुगतान पर ब्याज आरोपित नहीं किया जिसका परिणाम ₹33.36 लाख के ब्याज की गैर-उगाही के रूप में हुआ।

### 2.3.9 कर की अल्प/ गैर-उगाही के व्यक्तिगत मामले

व्यापारियों से कर वसूली/ विवरणियों की निगरानी की कमी के कारण सरकार को ₹1.21 करोड़ का न्यूनतम राजस्व घाटा हुआ, इसके अतिरिक्त लगभग ₹59.97 लाख कर मांग की गैर/ कम उगाही के कारण राजस्व का नुकसान हुआ जिसका वर्णन निम्नलिखित है:

#### 2.3.9.1 विवरणियों के अनाधीक्षण के कारण राजस्व का नुकसान और कर की गैर-उगाही

सीटीओ सर्किल 'ओ' जम्मू के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2017) से ज्ञात हुआ कि व्यापारी जो 18 मार्च 2011 से निर्माण कार्य ठेकों के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत था, ने 1 मई 2012 को अपना नाम परिवर्तित कर लिया। व्यापारी ने 2012-13 के दौरान एक निजी लिमिटेड फर्म से जम्मू में एक शॉपिंग मॉल के अभ्यंतर कार्य के लिए ₹11.54 करोड़<sup>21</sup> के कार्य आदेश प्राप्त किए। कार्य आदेश में यह विशिष्ट रूप से उल्लिखित था कि टीडीएस व्यापारी के चल बिलों से काटा जाएगा। इस ठेके के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सामग्री और मॉल का कार्यस्थल व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र में सन्निविष्ट किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्यापारी को ठेके के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सामग्री को आयात करने की अनुमति निजी फर्म की अनुसंशाओं पर दी गई थी। ठेकेदार के द्वारा किए गए कार्य का मूल्य अगस्त 2014 में सेवा कर को सम्मिलित करते हुए ₹8.14 करोड़<sup>22</sup> था। व्यापारी ने दावा किया कि निजी फर्म ने अगस्त 2014 तक किए गए भुगतानों पर स्रोत पर ही कर कटौती (₹70.25 लाख) कर ली थी, लेकिन फर्म ने दावा किया कि इस राशि की ठेकेदार को चालानों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति कर दी गई थी। स्रोत पर काटे गये कर या चालानों के विरुद्ध की गई प्रतिपूर्ति को सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि व्यापारी ने 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान शून्य टर्नओवर की विवरणियाँ जमा की गई हैं।

<sup>21</sup> सितम्बर 2012 में ₹10.25 करोड़ और जनवरी 2013 में ₹1.29 करोड़

<sup>22</sup> पूर्व कार्य : ₹7.36 करोड़; 10.5 प्रतिशत की दर से सेवा कर: ₹77.32 लाख

मूल्यांकन प्राधिकारी ने जेएण्डके जीएसटी अधिनियम की धारा 7 (18) के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के लिए व्यापारी के अनंतिम मूल्यांकन के लिए तदनुसार कार्यवाही की (14 अप्रैल 2014)। व्यापारी पर ₹89.17 लाख की कर देनदारी आरोपित की गई परन्तु मूल्यांकन हेतु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। लेखा वर्षों 2010-11 से 2012-13 के लिए व्यापारी का नियमित मूल्यांकन धारा 7(9) के अन्तर्गत उसके कम्प्यूटर फोल्डर में दर्शाई गई खरीद<sup>23</sup> को ध्यान में रखते सर्वोत्तम निर्णय आधार पर किया गया था। व्यापारी की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए इन परिस्थितियों में कर की वसूली के अवसर निराशाजनक है। व्यापारी को निजी लिमिटेड फर्म से अनुशंसा पर सामग्री खरीदने की अनुमति देने के लिए अपनाई गई क्रियाविधि विवेकपूर्ण नहीं थी। ठेके के मूल्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को न्यूनतम ₹1.21 करोड़ हानि<sup>24</sup> हुई थी।

सीटीओ सर्किल 'ओ' जम्मू ने उत्तर दिया (मई 2017) कि व्यापारी से वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए ₹1.35 करोड़ की ब्याज सहित कर मांग उठाई गई थी और शेष क्रियान्वित निर्माण कार्यों को लेखा वर्ष 2014-15 के दौरान किए जाने वाले मूल्यांकन को संज्ञान में लिया जाएगा।

मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए किए गए सारे मूल्यांकन स्थानिक खरीद और श्रम घटक को ध्यान में न रखते हुए कम्प्यूटर फोल्डर में दर्शाई गई अन्तर-राज्यीय खरीद में 20 प्रतिशत आकस्मिक व्यय को जोड़कर ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम निर्णय आधार पर लिए गए थे। मांगों को एकपक्षीय बढ़ा देने से यह पुष्टि नहीं होती कि इन परिस्थितियों में व्यापारी से कर की वसूली की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त निजी फर्म, जो उत्तरदायी व्यक्ति नहीं है, के द्वारा जेएण्डके जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर की कटौती न्यायोचित नहीं थी।

### 2.3.9.2 कर का अवरोधन और ब्याज की हानि

वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरणों<sup>25</sup> (अगस्त 2006) में उपबंधित किया गया कि जहां मुख्य ठेकेदार उप ठेकेदारों को संलग्न करते हुए पूरा या कार्य का भाग क्रियान्वित करता है तो ठेके का भाग पंजीकृत उप-ठेकेदारों पर प्रभारणीय नहीं होगा, यदि वे मूल्यांकन प्राधिकारी को संतुष्ट कर दें कि ठेके के भाग पर कर मुख्य ठेकेदार द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका है। इस उद्देश्य से मुख्य ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए कर को पंजीकृत उप-ठेकेदारों की ओर से कर का भुगतान माना जाएगा।

<sup>23</sup> 2010-11: शून्य; 2011-12: ₹ 5.52 लाख; 2012-13: ₹1.10 करोड़

<sup>24</sup> ठेका मूल्य ₹11.54 करोड़ (₹10.25 करोड़ और ₹1.29 करोड़) के 10.5 प्रतिशत की दर से कर तथा ब्याज शामिल नहीं है

<sup>25</sup> 2006 के स्पष्टीकरण संख्या 8 दिनांक 14 अगस्त 2006

वाणिज्य कर सर्किल 'ओ' जम्मू में चार<sup>26</sup> ठेकेदारों के मूल्यांकन अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2017) से ज्ञात हुआ कि कारगिल नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (केआरईडीए) और लेह नवीकरण विकास अभिकरण (एलआरईडीए) ने दो ठेकेदारों/व्यापारियों को वर्ष 2012-13 के दौरान निर्माण कार्य ठेके आबंटित किए थे। इन ठेकेदारों ने इन निर्माण कार्यों को उप ठेकेदारों को उप पट्टे पर दे दिया बदले में जिन्होंने इन निर्माण कार्यों को पुनः उप ठेकेदारों को उप पट्टे पर दे दिया और नीचे दिए गए क्रम में भुगतान प्राप्त किया।

**तालिका-2.3.2 मुख्य/ उप ठेकेदारों द्वारा प्राप्त भुगतान का विवरण**

(₹ करोड़ में)

स्तर	केआरईडीए के प्रोजेक्ट-I के संबंध में प्राप्त धन राशि	एलआरईडीए के प्रोजेक्ट-II के संबंध में प्राप्त धन राशि	अभ्युक्तियां
मुख्य ठेकेदार	शून्य	शून्य	दो भिन्न मुख्य ठेकेदारों को आबंटित ठेके
उप ठेकेदार (1)	0.88	2.33	दोनों परियोजनाएं एक ही उप ठेकेदार-1 को उप पट्टे पर दी गईं
उप ठेकेदार (2)	1.04	शून्य	दोनों परियोजनाएं एक ही उप ठेकेदार-2 को उप पट्टे पर दी गईं।

लेखा वर्ष 2012-13 के लिए इन व्यापारियों के मूल्यांकन अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2017) से ज्ञात हुआ कि मूल्यांकन प्राधिकारी ने मुख्य ठेकेदारों द्वारा उनकी विवरणी में घोषित शून्य कर योग्य टर्नओवर (टीटीओ) पर मूल्यांकन किया था। उप ठेकेदारों का मूल्यांकन भी इस तर्क पर कि उप-ठेकेदारों द्वारा मुख्य ठेकेदारों से प्राप्त भुगतान कर योग्य नहीं है, शून्य टीटीओ पर किया गया था। मूल्यांकन प्राधिकारी ने लेखावर्ष 2012-13 के लिए उप-ठेकेदारों का मूल्यांकन करते समय यह सुनिश्चित नहीं किया कि उनकी ओर से कर का भुगतान मुख्य ठेकेदार द्वारा किया गया था। इसका परिणाम ₹55.32 लाख<sup>27</sup> की मांग के गैर उगाही के रूप में हुआ।

सीटीओ सर्किल 'ओ' जम्मू ने उत्तर दिया (मई 2017) कि कर उत्तरदायित्व मुख्य ठेकेदार के कंधों पर है, जो एलआरईडीए और केआरईडीए के द्वारा स्रोत पर काटा जाएगा जैसे कि और जब उन्हें भुगतान किया जाएगा, लेकिन इस मामले में कर का अवरोधन स्वीकार किया गया।

<sup>26</sup> (1) मैसर्स आईएमपी विद्युत परियोजनाएं (01301183321) (2) मैसर्स आईएमपी एनर्जी लिमिटेड (01651183274) (3) मैसर्स क्रॉसबो कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (01211183322) और (4) मैसर्स कश्मीरी लाल कंस्ट्रक्शन

<sup>27</sup> ₹4.25 करोड़ के टीटीओ पर 10.50 प्रतिशत की दर से कर: ₹44.60 लाख और ब्याज ₹10.72 लाख

इस मामले में तथ्य यह है कि मूल्यांकन प्राधिकारी ने सुनिश्चित नहीं किया कि उप ठेकेदारों की ओर से कर का भुगतान कर दिया गया था जिसके कारण सरकार का वस्तु की बिक्री द्वारा अर्जित राजस्व ठेकेदारों से वसूला जाना शेष रह गया।

### 2.3.9.3 वार्षिक रखरखाव ठेका (एएमसी) शुल्कों पर कर की गैर-उगाही

वाणिज्य कर सर्किल उधमपुर-1 में एक व्यापारी के लेखा वर्ष 2012-13 के लिए मूल्यांकन अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2017) से ज्ञात हुआ कि व्यापारी ने लाभ और हानि खाते में ₹12.60 करोड़<sup>28</sup> की ठेका प्राप्तियां दर्शाई थी। लेकिन मूल्यांकन प्राधिकारी ने लेखावर्ष 2012-13 के लिए व्यापारी का मूल्यांकन करते समय केवल ₹12.40 करोड़ की ठेका प्राप्तियों पर कर आरोपित किया। तथ्य के बावजूद कि वार्षिक रखरखाव ठेका (एएमसी) सेवाओं को अप्रैल 2012 से प्रभावी अधिसूचित सेवाओं में सम्मिलित किया गया था, व्यापारी द्वारा प्राप्त की गई ₹19.75 लाख मूल्य की प्राप्तियों पर कर आरोपित नहीं किया गया था। इसका परिणाम ₹4.65 लाख<sup>29</sup> के कर और ब्याज की अल्प उगाही के रूप में हुआ। टिप्पणी पर उत्तर प्रतीक्षित था।

### 2.3.10 निगरानी एवं नियंत्रण

विभाग द्वारा स्रोत पर कर कटौती हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों को टैक्स डिडक्शन नंबर (टीडीएन) का आबंटन और सभी के द्वारा तिमाही विवरणी जमा किए जाने की आवश्यकता को लागू नहीं किया गया जिसका वर्णन आगे दिए गए पैराग्राफों में है।

#### 2.3.10.1 उत्तरदायी व्यक्तियों (डीडीओ) को कर कटौती संख्या का आबंटन और पहचान

जम्मू व कश्मीर जीएसटी अधिनियम 1962 की धारा 16सी<sup>30</sup> में दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो (क) सरकार के किसी विभाग या केन्द्र सरकार (ख) स्थानीय प्राधिकारी (ग) निगम या केन्द्र या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित एक सरकारी कम्पनी (घ) सहकारी समिति या (ङ) केन्द्र या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत संस्थापित बोर्ड, की ओर से किसी ठेके के अनुसरण में कर योग्य वस्तुओं के बिक्री मूल्य की कोई राशि एक व्यापारी को भुगतान करता है, वह निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से एक टीडीएन के आबंटन के लिए आवेदन करेगा। यदि उपयुक्त व्यक्ति बिना किसी तर्कसंगत कारण के टीडीएन लेने में असफल रहता है, वह ₹5,000 की शास्ति का उत्तरदायी होगा।

<sup>28</sup> इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड: ₹12.23 करोड़; उत्तर रेलवे रखरखाव चेक: ₹19.75 लाख और उत्तर रेलवे बिक्री खाता ₹17.50 लाख

<sup>29</sup> कर: ₹2.08 लाख; ब्याज: ₹2.57 लाख (अप्रैल 2012 से मई 2017: 62 महीने 2 प्रतिशत की दर से)

<sup>30</sup> संशोधन दिनांक 27.04.2012 से प्रतिस्थानिक 07.05.2012 से प्रभावी

कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों जिन्हें टीडीएन के लिए आवेदन करना आवश्यक था, की कुल संख्या के संबंध में विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं था तथापि अपर आयुक्त जम्मू कश्मीर के द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 2012-17 के दौरान केवल 730 व्यक्तियों ने टीडीएन के लिए आवेदन किया व उन्हें टीडीएन आबंटित किया गया था। विभाग ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों को टीडीएन आबंटित किए गए और त्रुटिकर्ताओं के विरुद्ध धारा 16(सी) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने के लिए समुचित कार्यवाही नहीं की गई थी।

अपर आयुक्त (प्रशासन) कश्मीर ने बताया (अप्रैल 2017) कि 59 व्यक्तियों जिन्होंने टीडीएन के लिए आवेदन नहीं किया था, पर शास्ति आरोपित और वसूली की गई। जबकि अपर आयुक्त (प्रशासन) जम्मू ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि पंजीकृत डीडीओ की पहचान की जा रही है और इन्हें शीघ्रतिशीघ्र पंजीकृत होने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

### 2.3.10.2 कर कटौतीकर्ता/ उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा तिमाही विवरणियाँ जमा न किया जाना

जेएण्डके जीएसटी अधिनियम की धारा 16सी (8 और 9) में प्रावधान है कि कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर निर्धारित तरीके से एक तिमाही विवरणी जमा करनी है। इस विवरणी को जमा करने में असफल रहने पर शास्ति के रूप में ₹1,000 प्रतिमाह प्रति विवरणी अधिकतम ₹5,000 के लिए व्यक्ति उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2017) कि टीडीएन धारकों की तिमाही विवरणियों का डाटाबेस/ अभिलेखों का रखरखाव विभाग के द्वारा नहीं किया गया था। तिमाही विवरणी की वर्ष-वार स्थिति टीडीएन धारकों से प्राप्त होनी शेष है और जो वर्ष 2014-17 के दौरान विभाग में प्राप्त हुई, वे अग्रलिखित हैं:

तालिका-2.3.3: वर्ष-वार देय तथा प्राप्त विवरणी

वर्ष	प्रतिवर्ष चार की दर से कुल देय विवरणियों की संख्या			प्राप्त विवरणियों की संख्या			प्रस्तुत नहीं की गई विवरणियां		
	जम्मू	कश्मीर	कुल	जम्मू	कश्मीर	कुल	जम्मू	कश्मीर	कुल
2014-15	1,452	1,256	2,708	1,252	880	2,132	200	376	576
2015-16	1,548	1,360	2,908	1,299	1,008	2,307	249	352	601
2016-17	1,572	1,380	2,952	1,049	1,020	2,069	523	360	883
<b>कुल</b>			<b>8,568</b>			<b>6,508</b>			<b>2,060</b>

2014-17 के दौरान 730 डीडीओ से प्राप्त होने वाली 8,568 विवरणियों के विरुद्ध केवल 6,508 विवरणियाँ प्राप्त की गई थी और कर कटौती के लिए उत्तरदायी

व्यक्तियों और टीडीएन आवंटियों से 2,060 तिमाही विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, विवरणियों के जमा न करने के लिए विभाग के द्वारा त्रुटिकर्ता व्यक्तियों के विरुद्ध शास्ति<sup>31</sup> आरोपित नहीं की गई थी।

अपर आयुक्त कश्मीर ने बताया (अप्रैल 2017) कि चार डीडीओ पर शास्ति आरोपित की गई है और 51 डीडीओ के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तथापि शेष 675 डीडीओ के विरुद्ध की गई कार्रवाई की स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया गया था (नवम्बर 2017)।

### 2.3.11 निष्कर्ष

जेएण्डके जीएसटी अधिनियम 1962 के अन्तर्गत सेवाओं से वस्तु रूप में कर संकलन के लक्ष्यों का अनियतन और निर्माण कार्य ठेकों से इतर अधिसूचित सेवाओं से राजस्व बढ़ाने के माध्यम से कर आधार के विस्तार में असफलता से उद्ग्रहित हुआ कि कर योजना अपर्याप्त थी। विभाग ने यह लागू नहीं किया कि स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को टीडीएन आबंटित किए गए थे और इन सभी ने तिमाही विवरणियाँ जमा कर दी थी। शास्तियों के आरोपण के माध्यम से निर्माण कार्य ठेकों की प्रतियां जमा करना और सरकारी खाते में टीडीएन का समय से जमा करना लागू नहीं किया गया था। टीडीएस की कटौती के लिए दरों के गलत अनुप्रयोग का परिणाम स्रोत पर अल्प कटौती के रूप में हुआ। मूल्यांकन प्राधिकारियों द्वारा बिना आवश्यक अभिलेख मंगवाए केवल विवरणियों और टीडीएस प्रमाण पत्रों के आधार पर किये गये मूल्यांकन संदिग्ध थे, जिनमें टर्नओवर छिपाने का जोखिम था। मूल्यांकन प्राधिकारियों द्वारा दोषयुक्त टीडीएस प्रमाणपत्रों पर कर क्रेडिट की अनुमति दी गई थी और देर से विवरणी जमा करने पर शास्ति आरोपित नहीं की थी। व्यापारियों द्वारा खरीद/ भंडार के छिपाव और कर भुगतान में देरी का परिणाम कर तथा ब्याज की अल्प उगाही रहा। व्यापारियों से कर की वसूली/ विवरणियों की गैर निगरानी से सरकार को राजस्व हानि हुई और इसका अन्य परिणाम कर मांग की गैर/ अल्प उगाही हुआ।

<sup>31</sup> प्रति विवरणी ₹5,000 की दर से

## ग. अनुपालन लेखापरीक्षा

### विधि विभाग

#### 2.4 'स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के निर्धारण तथा उद्ग्रहण' की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

##### 2.4.1 परिचय

जम्मू व कश्मीर राज्य में 2006-07 से 2010-11 की अवधि के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2011 की समाप्त हुए वर्ष की (जम्मू व कश्मीर सरकार की) प्रतिवेदन (सं. 3) में चित्रित किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में वे सिफारिशें सम्मिलित थीं जिनको विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा पर राज्य की लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा नहीं की गई थी (दिसम्बर 2017)।

##### 2.4.2 पूर्व सिफारिशों का सारांश

पूर्व सिफारिशों का सारांश निम्नलिखित है:

- विभाग को यह निर्देश देते हुए कि वह दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए कार्यप्रणाली तथा उत्तरदायित्वों को दर्शाते हुए विभागीय मैनुअल तैयार करें।
- राजस्व की उगाही और संग्रहण की यथार्थता पर नजर के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध (आईएडब्ल्यू) की स्थापना करना तथा इन कार्यालयों द्वारा संग्रहित वास्तविक राजस्व के अनुसार इसका समय से सरकारी खाते में प्रेषण किया जाना।
- पंजीकरण कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, रजिस्ट्रेशन विलेखों के लिए ई-स्टाम्पिंग और अभिलेखों के यथोचित रखरखाव का कार्यान्वयन।
- विभाग को निर्देश देते हुए कि अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए नियमों के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए और सुनिश्चित करे कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरें लागू हों।
- विभाग द्वारा मानदंडों को अद्यतन करने के लिए एक प्रणाली बनाई जाए जिसके आधार पर स्टाम्प शुल्क की उगाही की जाती है।

### 2.4.3 अनुवर्ती लेखापरीक्षा का उद्देश्य

अनुवर्ती लेखापरीक्षा का संचालन उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की सीमा के आकलन के लिए किया गया।

### 2.4.4 अनुवर्ती लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

अनुवर्ती लेखापरीक्षा की शुरुआत विधि सचिव, न्याय एवं संसदीय मामलों के विभाग को उनसे पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा प्रश्नावली जारी करके की गई। इसके अतिरिक्त, पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा किए गए 42 पंजीकरण कार्यालयों में से 18 पंजीकरण कार्यालयों<sup>32</sup> जिनमें लेखापरीक्षा जांच परिणाम थे, के अभिलेखों की नमूना जांच अनुवर्ती लेखापरीक्षा में की गई।

### 2.4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 2.4.5.1 निष्पादन लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा सिफारिशों का कार्यान्वयन

पीए की चार सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित है:

**क: पीए की लेखापरीक्षा सिफारिशों पर निरर्थक अथवा कोई प्रगति न होना**

पूर्व रिपोर्ट में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गई सिफारिशें	पीएसी/ सीओपीयू की सिफारिशें यदि कोई हो तो	वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/ टिप्पणियां
पैरा 5.5.10.1 तैयार नहीं किए गए अनुदेशों के मैनुअल और सार संग्रह पैरा 5.5.10.2 प्रशासनिक निरीक्षण नहीं किए गए	सरकार द्वारा विभाग को निर्देश दिया जाना कि वह दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए कार्यप्रणाली तथा उत्तरदायित्वों को दर्शाते हुए विभागीय मैनुअल तैयार करे, विचार किया जाए।	चर्चा नहीं की गई	विभागीय मैनुअल तैयार नहीं किया गया	इकाईयों के अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पर्यवेक्षण किया कि दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित कार्यालयी कार्य के संचालन के लिए आवश्यक कार्यप्रणाली के निर्धारण हेतु मैनुअल को तैयार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अनुदेशों का कोई सार-संग्रह तैयार नहीं पाया गया। इंगित करने पर वित्तीय सलाहकार/ सीएओ विधि विभाग, न्याय और संसदीय मामले ने बताया कि दस्तावेजों का पंजीकरण न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जाता था, जोकि माननीय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन थे

<sup>32</sup> जम्मू डिवीजन: 11; कश्मीर डिवीजन: 7

पूर्व रिपोर्ट में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गई सिफारिशें	पीएसी/ सीओपीयू की सिफारिशें यदि कोई हो तो	वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/ टिप्पणियां
				<p>अतः संबंधित प्राधिकारी से इस संबंध में पहले ही अनुरोध किया गया था।</p> <p>हालांकि जब वह मामला महानिरीक्षक, पंजीकरण के संज्ञान में लाया गया तो यह बताया गया कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायलयों के शासित नियमों को समय समय पर जारी करता है, स्थान पर थे जिन्हें उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया।</p> <p>हालांकि प्रस्तुत किया गया उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए अभिलेखों से समर्थित नहीं था जैसा कि 18 पंजीकरण कार्यालयों की नमूना जांच में यह देखा गया कि 2010-11 से 2016-17 की अवधि के दौरान उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा किसी प्रशासनिक जांच का संचालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त पंजीकरण कार्यालयों में उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा जारी परिपत्रों को निहित करते हुए कोई फाईल अनुरक्षित नहीं की गई।</p> <p>इससे प्रकट होता है कि मैनुअल तैयार करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सिफारिश की गई थी।</p>
<p><b>पैरा 5.5.10.3</b> आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध (आईएडब्ल्यू) की अनुपस्थिति</p> <p><b>पैरा 5.5.10.3.1</b> सरकारी धन का गबन</p>	सरकार द्वारा राजस्व की उगाही और संकलन की सत्यता को देखने के लिए एक आईएडब्ल्यू की स्थापना करने और इन	चर्चा नहीं की गई	आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध का गठन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त गबन की गई राशि ₹0.20 लाख को इंगित करने के बाद	विभाग द्वारा किसी आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध (आईएडब्ल्यू) का गठन नहीं किया गया साथ ही वित्त विभाग या अन्य किसी कार्यालय द्वारा किसी लेखापरीक्षा का संचालन होना नहीं पाया गया। जब आईएडब्ल्यू के निर्माण संबंधी मामले को विभाग के संज्ञान में लाया गया

पूर्व रिपोर्ट में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गई सिफारिशें	पीएसी/ सीओपीयू की सिफारिशें यदि कोई हो तो	वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/ टिप्पणियां
	कार्यालयों द्वारा संकलित वास्तविक राजस्व के अनुसार इसका समय से सरकारी खातों में प्रेषण किए जाने पर विचार किया जाए।		उसमें से शेष राशि ₹700 की वसूली नहीं की गई। हालांकि पंजीकरण कार्यालयों की नमूना जांच के दौरान राजस्व के सरकारी खातों में प्रेषण में कोई सराहनीय देरी नहीं देखी गई।	तब यह बताया गया कि मामला सक्रिय तौर पर विभाग के ध्यान में है और इसको माननीय उच्च न्यायालय से विमर्श के साथ सुलझाया जाएगा। प्रस्तुत किए गए उत्तर में तथापि कोई समय सीमा नहीं दी गई जिसमें आईएडब्ल्यू के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। पंजीकरण कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन न होने कारण बहुत सी विसंगतियां पकड़ में न आने का जोखिम है जैसे कि जेएमआईसी जम्मू के शहर के न्यायधीश की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि तिथियां 30 मई 2013, 06 जून 2013, 03 मार्च 2014, 19 अप्रैल 2014, 23 अप्रैल 2014 और 21 जुलाई 2015 को संकलित किए गए ₹1.06 लाख के पंजीकरण शुल्क के प्रति ₹0.42 लाख ही लेखाबद्ध किए गए थे। इसका परिणाम पंजीकरण शुल्क में ₹0.64 लाख का अल्प लेखाकरण रहा। उसी प्रकार, जेएमआईसी हीरानगर के कार्यालय में 22 जुलाई 2014, 28 अगस्त 2014, 10 दिसम्बर 2014 और 11 दिसम्बर 2014 को प्राप्त पंजीकरण शुल्क ₹0.29 लाख के प्रति केवल ₹0.22 लाख की राशि ही नगद बही में लेखाबद्ध हो पाई। इसका परिणाम ₹0.07 लाख के पंजीकरण शुल्क का अल्प लेखाकरण रहा। जैसा कि कोई आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई तो पंजीकरण शुल्क के उल्प लेखाकरण का पता नहीं चला। उपर्युक्त अल्प लेखाकरण को

पूर्व रिपोर्ट में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गई सिफारिशें	पीएसी/ सीओपीयू की सिफारिशें यदि कोई हो तो	वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/ टिप्पणियां
				इंगित करने के बाद शहर के न्यायाधीश जेएमआईसी जम्मू और उप-पंजीयक मुनासिफ जेएमआईसी हीरानगर ने बताया कि मामले पर ध्यान दिया जाएगा।
<p><b>पैरा 5.5.11</b> पट्टे विलेख पर तीन वर्षों से व्यय की गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कम उगाही।</p> <p><b>पैरा 5.5.11.1</b> बिक्री विलेखों का बिक्री अनुबंधों के रूप में गलत वर्गीकरण</p> <p><b>पैरा 5.5.11.2</b> भूमि की बाजार दर पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गैर-उगाही</p> <p><b>पैरा 5.5.12</b> लागू दरों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गैर उगाही</p>	<p>विभाग को निर्देश देते हुए कि अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए नियमों के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए और सुनिश्चित करे कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरें लागू हो।</p>	<p>चर्चा नहीं की गई</p>	<p>29 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में सम्मिलित 2,225 मामलों में से पीए प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ₹8.23 करोड़ की स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कम/ गैर-उगाही के किसी भूमि मामले में वसूली नहीं की गई।</p>	<p>स्टाम्प शुल्क की उगाही के प्रयोजन के लिए परिसंपत्तियों के कम मूल्यांकन की वजह से हुई राजस्व हानि का पता लगाने के लिए सरकार ने दिनांक 04.10.2011 के एसआरओ 303 द्वारा जम्मू व कश्मीर बाजार मूल्य की तैयारी तथा संशोधन पर दिशा निर्देश बनाये जहां सरकार के तहत राज्य के प्रत्येक डिवीजन/ जिला के लिए डिवीजनल/ जिला/ उपजिला मूल्यांकन बोर्ड/ समितियां बनाई गई तथा बोर्ड/ समिति की अचल संपत्तियों में भूमि बिल्डिंग तथा विभिन्न प्रकार के हितों के मूल्यांकन के संदर्भ में बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मानदंड बनाये, का अधिदेश दिया है तथा इसके प्रश्नात प्रत्येक वर्ष अप्रैल से वार्षिक रूप से बाजार मूल्य दिशा निर्देश तथा दरें जारी करती है।</p> <p>कार्यालयों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा के दौरान गलत दरों के अनुप्रयोग, गलत गणनाएं नगरीय/ ग्रामीण क्षेत्रों के गलत वर्गीकरण तथा बिक्री विलेख/ उपहार विलेख/ पट्टा विलेख, जिनका विवरण पैराग्राफ 2.4.5.2 से 2.4.5.5 में दिया गया है, के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट/ कटौती के गलत अनुदान के कारण स्टाम्प शुल्क/ पंजीकरण शुल्क की अल्प उगाही के मामले देखे गये।</p>

ख: पीए की लेखापरीक्षा सिफारिशों का आंशिक कार्यान्वयन

पूर्व प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गई सिफारिशों	पीएसी/ सीओपीयू की सिफारिशों यदि हो तो	वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/ टिप्पणियां
<p>पैरा 5.5.10.4 क्रियान्वित विलेखों की सूचना न देना</p> <p>पैरा 5.5.10.5 पंजीकरण अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण न करना</p> <p>पैरा 5.5.10.6 अभिलेखों के अपूर्ण रखरखाव</p>	<p>विभाग द्वारा पंजीकरण कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, पंजीकरण विलेखों के लिए ई-स्टाम्पिंग और अभिलेखों के यथोचित रखरखाव के कार्यान्वयन पर विचार किया जाए।</p>	<p>चर्चा नहीं की गई</p>	<p>नमूना जांच किए गए कार्यालयों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण होना नहीं पाया गया।</p> <p>पंजीकरण विलेखों की ई-स्टाम्पिंग के संबंध में वित्त विभाग द्वारा 2013 के एसआरओ 402 दिनांक 16 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत सरकारी अधिसूचना जारी कर राज्य में ई-स्टाम्पिंग प्रणाली को लागू किया गया। इस उद्देश्य हेतु द स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के तौर पर, इस प्रणाली द्वारा संकलित किए गए स्टाम्प शुल्क के प्रति सौ रूपये पर 0.65 प्रतिशत की दर पर कमीशन आधार पर प्राधिकृत किया गया।</p>	<p>अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला हालांकि सरकार द्वारा सितम्बर 2013 में आदेश जारी किए गए इसके बावजूद भी ई-स्टाम्पिंग प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया और पंजीकरण हस्तचालित प्रक्रिया द्वारा किए जा रहे हैं।</p> <p>जब अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण न किये जाने और ई-स्टाम्पिंग विधि का पालन न किया जाना, को विभाग के संज्ञान में लाया गया तो यह बताया गया कि मामला विचाराधीन था। हालांकि महा निरीक्षक, पंजीकरण कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रार/ उप-रजिस्ट्रार के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकृत न होने को स्वीकृत करते हुए कहा है कि यह प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय के अन्तर्गत सक्रिय रूप में विचाराधीन है।</p> <p>आगे नमूना जांच किए गए कार्यालयों में लेखापरीक्षा द्वारा ज्ञात हुआ कि पंजीकरणों पर विचार करते समय उपयोग किए गए स्टाम्प पेपर्स की क्रम संख्या और स्टाम्प पेपर के मूल्यवर्ग वार विवरण पंजीकरण कार्यालयों के अभिलेखों में नहीं पाया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा वास्तविकता में उपयोग किए गए स्टाम्प पेपर की राशि को प्रदान नहीं कर सका।</p>

पूर्व प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गई सिफारिशें	पीएसी/ सीओपीयू की सिफारिशें यदि हो तो	वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/ टिप्पणियां
				<p>इसके बावजूद दस्तावेज रजिस्ट्रारों पर पंजीकरण अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए जैसा कि पंजीकरण अधिनियम संवत् 1977 के नियम 30 के अन्तर्गत आवश्यक था।</p> <p>स्टाम्प पेपर का दोबारा उपयोग न करना अथवा स्टाम्प पेपर की प्रतिलिपि के प्रयोग को पता लगाने संबंधी अभ्यास का उपयोग कभी नहीं करना पाया गया।</p>

**ग: पीए की लेखापरीक्षा सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन**

किसी भी सिफारिश को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया।

#### 2.4.5.2 बिक्री विलेखों के पंजीकरण पर संशोधित दरों के प्रयोग न करने के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की कम उगाही

जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू व कश्मीर बाजार मूल्य तैयार<sup>33</sup> करना तथा संशोधन संबंधी दिशा निर्देश बनाए गए जिसके अन्तर्गत सरकार ने राज्य के प्रत्येक डिवीजन/ जिला के लिए डिवीजनल जिला/ उप-जिला मूल्यांकन बोर्ड/ समितियां बनाई गई तथा बोर्ड/ समिति को अचल संपत्तियों में भूमि, बिल्डिंग तथा विभिन्न प्रकार के हितों के मूल्यांकन के संदर्भ में बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मानदण्ड बनाने का अधिदेश दिया है तथा इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष अप्रैल से वार्षिक रूप से बाजार मूल्य दिशा निर्देश तथा दरें जारी करने का अधिदेश दिया।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान सात उप रजिस्ट्रारों के अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के 80 मामलों में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित संशोधित बाजार दरों को प्रभारित नहीं किया गया। उगाही योग्य ₹56.26 लाख की धनराशि के प्रति पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा केवल ₹48.54 लाख की उगाही की गयी। इसके

<sup>33</sup> एसआरओ 303 दिनांक 4 अक्टूबर 2011 के द्वारा

परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की ₹7.72 लाख<sup>34</sup> तक कम की उगाही<sup>35</sup> हुई।

इसको इंगित किए जाने पर (मार्च-मई 2017) यह बताया गया कि मामले पर ध्यान दिया जाएगा।

#### 2.4.5.3 बिक्री विलेखों के पंजीकरण की गणना में गलती/ गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की कम उगाही

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान 12 पंजीकरण प्राधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि बिक्री विलेखों के 71 मामलों में परिसंपत्तियों के अल्पतर आंकलन के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अल्प प्रभार और गलत गणना अथवा दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण पाया गया। इन मामलों के संबंध में उगाही योग्य स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क ₹39.02 लाख के प्रति ₹20.65 लाख की उगाही हो पाई। इसके अतिरिक्त चार पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा चार मामलों में 5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क की गलत रूप में उगाही की गई और एक पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा दो मामलों में पुरुष व्यक्तियों की स्टाम्प ड्यूटी पर 25 प्रतिशत की अनियमित कटौती को प्रदान किया गया जोकि भूमि खरीद पर परिवार के महिला सदस्यों के लिए स्वीकार्य है जिसका परिणाम स्टाम्प शुल्क की ₹1.26 लाख की कम उगाही रहा। इसका परिणाम स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण, शुल्क का ₹19.63 लाख<sup>36</sup> की अल्प उगाही के रूप में रहा।

इसको इंगित करने पर, यह बताया गया कि मामलों पर ध्यान किया जाएगा।

<sup>34</sup> उप-न्यायाधीश जेएमआईसी जम्मू: 17 मामले ₹4.11 लाख; उप-पंजीयक जेएमआईसी जम्मू: 05 मामले, ₹0.49 लाख; उप-पंजीयक, शहर न्यायाधीश जम्मू: 04 मामले, ₹0.32 लाख; उप-न्यायाधीश सीजेएम सांबा: एक मामला, ₹0.04 लाख; उप-न्यायाधीश सीजेएम कठुआ: 24 मामले, ₹2.14 लाख; मुंसिफ कठुआ: 28 मामले, ₹0.46 लाख; मुंसिफ जेएमआईसी गांदरबल: एक मामला, ₹0.16 लाख।

<sup>35</sup> स्टाम्प ड्यूटी ₹6.95 लाख पंजीकरण शुल्क ₹0.77 लाख

<sup>36</sup> दस्तावेजों की गलत गणना तथा गलत वर्गीकरण: (उप-पंजीयक जेएमआईसी जम्मू: 08 मामले, ₹1.28 लाख; विशेष नगरपालिका एमजीटी जम्मू: 7 मामले, ₹3.95 लाख; उप-पंजीयक शहरी न्यायाधीश जम्मू: 9 मामले, ₹5.61 लाख; मुंसिफ जेएमआईसी जम्मू: 3 मामले, ₹0.06 लाख; मुंसिफ जेएमआईसी सांबा: 2 मामले, ₹0.10 लाख; मुंसिफ हीरानगर: 7 मामले, ₹0.67 लाख; उप-न्यायाधीश सीजेएम, सांबा: 11 मामले, ₹1.63 लाख; मुंसिफ जेएमआईसी कठुआ: 5 मामले, ₹2.15 लाख; उप-न्यायाधीश सीजेएम रियासी: 2 मामले, ₹0.04 लाख; उप-पंजीयक काजीगुंड: 4 मामले, ₹0.16 लाख; उप-न्यायाधीश सीजेएम शोपियाँ: 12 मामले, ₹2.54 लाख; मुंसिफ जेएमआईसी गांदरबल: एक मामला, ₹0.18 लाख); स्टाम्प शुल्क की गलत उगाही: (उप-पंजीयक, मुंसिफ हीरानगर: एक मामला, ₹1.03 लाख; उप-न्यायाधीश सीजेएम कठुआ: एक मामला, ₹0.08 लाख; उप-न्यायाधीश सीजेएम सांबा: एक मामला, ₹0.04 लाख; मुंसिफ जेएमआईसी कठुआ: एक मामला, ₹0.08 लाख); स्टाम्प ड्यूटी की अमान्य कटौती: (उप-पंजीयक सीजेएम सांबा: 2 मामले, ₹0.03 लाख)

#### 2.4.5.4 उपहार विलेखों के पंजीकरण पर अनुदान की अमान्य कटौती और परिसंपत्तियों के गलत आंकलन के कारण स्टाम्प ड्यूटी की अल्प उगाही

जम्मू तथा कश्मीर स्टाम्प अधिनियम 1977 की धारा 3 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची-1 में उल्लिखित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की उगाही की जाती है। अनुसूची के अनुच्छेद 27 के अनुसार उपहार दस्तावेज, भुगतान नहीं हुए (सं. 50) अथवा वसीयत अथवा स्थानांतरण (सं. 54), जो कि एक उपहार के रूप में है, परिसंपत्ति की बाजार दरों पर वहन (सं. 18) स्वरूप समान स्टाम्प ड्यूटी की उगाही के अधीन है। जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा एसआरओ 152 दिनांक 31 मार्च 2010 के अधीन परिवार के महिला सदस्या के नाम से भूमि खरीद पर उगाही योग्य स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में 25 प्रतिशत की कटौती की अनुमति प्रदान की गई। यह कटौती केवल महिलाओं के नाम पर खरीदी गई भूमि पर ही लागू थी और उपहार विलेखों जहाँ उपहार पाने वाली महिला हो, वह लागू नहीं थे।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नौ उप-रजिस्ट्रारों ने 2011-12 से 2016-17 के दौरान उपहार विलेखों के 35 मामलों में उचित स्टाम्प ड्यूटी की उगाही नहीं की थी। उगाही योग्य ₹23.12 लाख की स्टाम्प ड्यूटी के विरुद्ध ₹13.30 लाख की स्टाम्प ड्यूटी की उगाही की गई। इसका परिणाम, महिलाओं के नाम पर पंजीकृत उपहार विलेखों, परिसंपत्तियों के गलत आंकलन और गलत गणनाओं के संबंध में 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की अमान्य कटौती की स्वीकृति के कारण ₹9.82 लाख<sup>37</sup> की ड्यूटी की कम उगाही रहा, जबकि स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत कटौती केवल भूमि खरीद के मामलों में ही स्वीकार्य थी।

इंगित किया गया, तो आठ उप पंजीयकों ने बताया कि मामले पर ध्यान दिया जाएगा। उप-पंजीयक कुलगाम ने सात मामलों में ₹0.86 लाख वसूला और एक मामले में वसूली नहीं हुई क्योंकि दानकर्ता का पता नहीं चला।

#### 2.4.5.5 पट्टा विलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी की अल्प उगाही

जम्मू तथा कश्मीर स्टाम्प अधिनियम 1977 की धारा 3 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची-1 में उल्लिखित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की उगाही की जाती है। अनुसूची के अधिनियम 29 के अनुसार पट्टा और पट्टा या उप पट्टे का कोई अनुबंध या पट्टे का कोई नवीकरण, अधिनियम में उल्लिखित दरों पर स्टाम्प ड्यूटी की उगाही के अधीन

<sup>37</sup> उप-न्यायाधीश जेएमआईसी जम्मू: एक मामला, ₹0.93 लाख; शहरी न्यायाधीश जेएमआईसी: 2 मामले, ₹2.20 लाख; मुंसिफ जेएमआईसी हीरानगर: 5 मामले, ₹0.39 लाख; उप-न्यायाधीश सीजेएम साम्बा: 2 मामले, ₹0.12 लाख; उप-न्यायाधीश सीजेएम कठुआ: 2 मामले, ₹2.04 लाख; मुंसिफ जेएमआईसी कठुआ: 2 मामले, ₹0.03 लाख; उप-पंजीयक सीजेएम शोपियां: 9 मामले, ₹2.57 लाख; मुंसिफ जेएमआईसी गान्दरबल: 4 मामले, ₹0.42 लाख; उप-पंजीयक कुलगाम: 8 मामले, ₹1.12 लाख

है। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नौ उप-पंजीयक के कार्यालयों में क्रियांवित तथा पंजीकृत पट्टा विलेखों पर अनुसूची के अनुसार लागू स्टाम्प ड्यूटी की दरें प्रभारित नहीं की गई हैं। 2013-14 से 2016-17 के दौरान 30 मामलों में उगाही योग्य स्टाम्प ड्यूटी ₹17.60 लाख के विरुद्ध केवल ₹12.35 लाख की स्टाम्प ड्यूटी उगाही की गई, जिसका परिणाम परिसंपत्तियों के गलत आंकलन तथा गणनाओं के कारण ₹5.25 लाख<sup>38</sup> की स्टाम्प ड्यूटी की अल्प उगाही के रूप में रहा। जब इसे इंगित किया गया, तो बताया गया कि मामले पर ध्यान दिया जाएगा।

#### 2.4.6 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 में इंगित की गई विसंगतियों को दूर करने हेतु सरकार ने केवल आंशिक उपाय शुरू किए जबकि सरकार द्वारा राज्य में ई-स्टाम्पिंग की शुरुआत करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी, जो कि अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई थी। कुछ कमियाँ जैसे पूर्व संशोधित दरों के अनुप्रयोग, दरों के गलत अनुप्रयोग, स्टाम्प ड्यूटी की कटौती में अमान्य अनुदान, जिनका परिणाम राजस्व हानि के रूप में रहा था तथा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर भी ध्यान नहीं दिया गया और निरंतर बने हुए थे। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के गठन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिसका अर्थ है कि त्रुटियों/ विसंगतियों/ धन के अल्प लेखाकरण के दृष्टांत, यदि कोई हो तो, अनदेखा रह गया। इसके अतिरिक्त पूर्व में इंगित की गई स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की अल्प उगाही की वसूली हेतु कोई उन्नति नहीं हुई।

<sup>38</sup> उप-पंजीयक जेएमआईसी जम्मू: 3 मामले, ₹1.60 लाख; उप-न्यायाधीश जेएमआईसी जम्मू: 5 मामले, ₹1.51 लाख; विशेष नगरपालिका मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जम्मू: 5 मामले, ₹0.18 लाख; उप-पंजीयक शहरी न्यायाधीश जम्मू: 2 मामले, ₹0.91 लाख; मुंसिफ जेएमआईसी जम्मू: 3 मामले, ₹0.81 लाख, मुंसिफ जेएमआईसी साम्बा: एक मामला, ₹0.06 लाख; उप-न्यायाधीश सीजेएम कठुआ: 7 मामले, ₹0.08 लाख; उप-पंजीयक सीजेएम काजीगुंड: एक मामला, ₹0.01 लाख, उप-पंजीयक जेएमआईसी शोपियां एक मामला, ₹0.07 लाख, मुंसिफ जेएमआईसी अनंतनाग: 2 मामले, ₹0.02 लाख

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग

2.5 जम्मू तथा कश्मीर राज्य की विद्युत परियोजनाओं में जल उपयोग शुल्क का उद्ग्रहण, संकलन तथा उपयोग

मूल्यांकन तथा संकलन हेतु उत्तरदायी विभाग के पास जिले की सभी 29 विद्युत परियोजनाओं में निर्धारित, संकलित तथा शेष बकाया जल उपयोग शुल्क की स्थिति समेकित रूप से उपलब्ध नहीं थी। 17 विद्युत परियोजनाओं के संबंध में निर्धारित धन राशि ₹5,950.55 करोड़ में से केवल ₹3,971.63 करोड़ यानि कि 67 प्रतिशत ही वसूला गया। जल उपयोग डाटा के मापन की अयोग्य प्रणाली और जल उपयोग शुल्क की उगाही में असफलता से ₹201.69 करोड़ की अल्प/ गैर उगाही हुई। जल उपयोग शुल्क निधि में से कुल खर्च ₹4,159.85 करोड़ का 2.40 प्रतिशत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु आबंटित किया गया और 80.25 प्रतिशत का उपयोग विद्युत खरीद के लिए उपयोग किया गया। सामान्य पूल लेखा में स्थानांतरित किए गए ₹721.56 करोड़ (17.35 प्रतिशत) का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। जल उपयोग शुल्क से प्राप्त राजस्व राज्य सरकार के लिए विशेषतः विद्युत खरीद हेतु अतिरिक्त संसाधन संघटन (एआरएम) करना साबित हुआ अपितु इससे जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना तथा क्रय वापसी और संप्रेषण तथा वितरण नेटवर्क में पूंजी निवेश के उद्देश्य को पूरा नहीं किया।

2.5.1 परिचय

जम्मू तथा कश्मीर राज्य का जल संसाधन नियंत्रण तथा प्रबंधन (डब्ल्यूआरआरएम) अधिनियम 2010, 10 नवंबर 2010 से लागू हुआ। अधिनियम राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा अन्यों के बीच उपयोग किए गए जल के जल उपयोग शुल्क की उगाही का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 197 के अनुसरण में जम्मू तथा कश्मीर डब्ल्यूआरआरएम नियम 2011 का निर्माण जनवरी 2011 में किया गया। डब्ल्यूआरआरएम नियम 2011 के नियम 56 के आधार पर जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (पीएचई, आईएण्डएफसी) विभाग विद्युत परियोजनाओं में सप्लाई किए गए जल के कारण जल उपयोग शुल्क के निर्धारण तथा संकलन के लिए उत्तरदायी था। डिवीजन के सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) द्वारा, जिसके क्षेत्राधिकार में वह क्षेत्र आता है, जहाँ विद्युत परियोजनाएँ स्थित है, वहाँ लाइसेंसी (विद्युत परियोजना) द्वारा उपयोग किए गए जल की मात्रा का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित था। जम्मू तथा कश्मीर राज्य एनएचपीसी<sup>39</sup> तथा

<sup>39</sup> नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन

जेकेएसपीडीसी<sup>40</sup> द्वारा 29<sup>41</sup> जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिन पर जल उपयोग शुल्क लागू है। जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 के दौरान 29 परियोजनाओं में से सात<sup>42</sup> परियोजनाओं तथा नवंबर 2010 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान चार<sup>43</sup> मूल्यांकन डिवीजनों के जल उपयोग शुल्क से संबंधित मूल्यांकन अभिलेखों की नमूना जांच की गई। विद्युत उत्पादन इकाइयों से जल उपयोग शुल्क के मूल्यांकन और संकलन की प्रणाली की अधिनियम की आवश्यकता तथा नियमों का प्रभाव और दक्षता के आधार पर आंकलन हेतु लेखापरीक्षा का संचालन किया गया यह भी देखने के लिए कि विद्युत उत्पादन इकाइयों से संकलित शुल्क अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत है।

### 2.5.2 जम्मू तथा कश्मीर राज्य जल संसाधन नियामक प्राधिकरण का गठन

अधिनियम की धारा 139 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की शुरुआत की तिथि से तीन वर्षों के अंदर अर्थात् फरवरी 2011 तक जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार द्वारा जल संसाधन नियामक प्राधिकरण (जेकेएसडब्ल्यूआरआरए) की स्थापना किया जाना अपेक्षित था। जेकेएसडब्ल्यूआरआरए के मुख्य कार्यों में राज्य में सभी जल स्रोतों से उपयोगकर्ता तथा लाइसेंस द्वारा जल उपयोग का नियमन तथा परस्पर जल दर-सूची प्रणाली की स्थापना करना था। पीएचई, आई एण्ड एफसी विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा जेकेएसडब्ल्यूआरआरए की स्थापना होने तक इसके कार्यों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग किया जाना था। जेकेएसडब्ल्यूआरआरए की स्थापना अक्टूबर 2012 में तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए की गई जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य थे। हालांकि जेकेएसडब्ल्यूआरआरए ने अपना कार्य काल सितंबर 2015 में पूरा किया, नए प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना शेष है (अप्रैल 2017)।

### 2.5.3 मूल्यांकन तथा मांग संकलन

जल संसाधन नियामक तथा प्रबंधन अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित एईई को छः माही आधार<sup>44</sup> पर विद्युत परियोजनाओं में जल उपयोग हेतु मांग नोटिस भेजे जाने आवश्यक है। चार नमूना जांच की गई डिवीजनों के अभिलेखों

<sup>40</sup> जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

<sup>41</sup> एनएचपीसी की सात परियोजनाएं (सलाल, उरी-I, दुलहस्ती, सेवा-II, चुतक, एन. बाज्गो, उरी-II) तथा जेकेएसपीडीसी की 22 परियोजनाएं (बगलिहार-I और II, चेनानी-I, II और III, सेवा-III, लोअर झेलम, अपर सिंध-I और II, गान्दरबल, पहलगाम, करनाह, इकबाल, हुंदर, सुमुर, ईगो-मेर्सिलोंग, हफताल, मारपाछु, बाज्गो, सत्कना, संजाक, भद्रवाह)

<sup>42</sup> बगलिहार-I और II, सलाल, चेनानी-I, II और III तथा सेवा-II

<sup>43</sup> रामबन, धरमारी, उधमपुर, कठुआ

<sup>44</sup> 1 अप्रैल तथा अक्टूबर प्रतिवर्ष

की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विद्युत परियोजनाओं के संबंध में मूल्यांकन जल उपयोग शुल्क उनके प्रति की गई वसूलियां और शेष बकायों के संदर्भ में पूर्ण अभिलेखों का रखरखाव इन डिवीजनों द्वारा नहीं किया गया। पीएचई, आईएंडएफसी विभाग में विद्युत परियोजनाओं से मूल्यांकन और संकलित जल उपयोग शुल्क तथा शेष बकायों सम्बन्धी समेकित आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया गया। वैसे तो, सरकार की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के प्रति शेष बकाया देय जल उपयोग शुल्क की यथार्थ राशि और विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के प्रति शेष बकायों का पता लेखापरीक्षा द्वारा नहीं लगाया जा सका। यद्यपि मुख्य अभियंता (आईएंडएफसी) द्वारा जम्मू डिवीजन में स्थित विद्युत परियोजनाओं के संबंध में मूल्यांकित जल उपयोग शुल्क का विवरण उपलब्ध कराया गया, मुख्य अभियंता (आईएंडएफसी) कश्मीर के पास कश्मीर डिवीजन की विद्युत परियोजनाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जिन्होंने बताया (जनवरी 2017) कि अभिलेख बाढ के दौरान नष्ट हो गए थे।

एनएचपीसी से प्राप्त किए गए आकड़ों और मुख्य अभियंताओं (आईएंडएफसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर यह देखा गया कि नवंबर 2010 से सितंबर 2016 के दौरान एनएचपीसी की सात<sup>45</sup> परियोजनाओं (₹3,958.42 करोड़) और जेकेएसपीडीसी की दस<sup>46</sup> परियोजनाओं (₹1,992.13 करोड़) के संबंध में कुल मूल्यांकित धनराशि ₹5,950.55 करोड़ के प्रति एनएचपीसी (₹3,951.63 करोड़) तथा जेकेएसपीडीसी (₹20 करोड़) से केवल ₹3,971.63 करोड़<sup>47</sup> की राशि वसूल की गयी जबकि ₹1,978.92 करोड़<sup>48</sup> (33 प्रतिशत) की राशि को नहीं वसूला गया। विभाग द्वारा याद दिलाने के बाद भी जेकेएसपीडीसी द्वारा जून 2011 के बाद जल उपयोग शुल्क का कोई भुगतान नहीं किया गया था। चूंकि सभी परियोजनाओं के संबंध में मूल्यांकित धनराशि का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं था। अतः लेखापरीक्षा के दौरान भुगतान किए गए बिलों की यथार्थ राशि का पता नहीं लग सका। यद्यपि, जेकेएसपीडीसी की दस परियोजनाओं से ₹1,972.13 करोड़ की वसूली नहीं की जानी

<sup>45</sup> सलाल: ₹2,132.63 करोड़; उरी-I: ₹749.06 करोड़; दुलहस्ती: ₹618.81 करोड़; सेवा-II: ₹57.33 करोड़; चूतक: ₹23.09 करोड़; एन बाज्गो: ₹61.84 करोड़; उरी-II: ₹316.01 करोड़ (भुगतान में साथ परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना ₹0.05 करोड़ की दर से ₹0.35 करोड़ लाइसेंस शुल्क सम्मिलित है)

<sup>46</sup> बगलिहार: ₹1345.68 करोड़ चिनानी-I, II और III ₹103.61 करोड़ सेवा-III ₹7.31 करोड़, लोअर झेलम: ₹470.94 करोड़, अपर सिंध,-I: ₹17.26 करोड़, अपर सिंध-II: ₹24.09 करोड़, गान्दरबल: ₹6.73 करोड़, पहलगाम: ₹16.51 करोड़

<sup>47</sup> 2010-11: शून्य; 2011-12: ₹553.50 करोड़; 2012-13: ₹585.49 करोड़; 2013-14: ₹567.47 करोड़; 2014-15: ₹757.03 करोड़; 2015-16: ₹710.12 करोड़; 2016-17: ₹798.02 करोड़;

<sup>48</sup> एनएचपीसी: ₹6.79 करोड़ और जेकेएसपीडीसी ₹1972.13 करोड़

थी जो आंकलित राशि के 99 प्रतिशत तक था। जेकेएसपीडीसी से बकाया धनराशि की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

हालांकि, एनएचपीसी ने दावा किया है कि इसने ₹3,958.42 करोड़<sup>49</sup> जल उपयोग बिलों और ₹0.35 करोड़ लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान किया, विभागीय अभिलेखों के अनुसार केवल ₹3,951.63 करोड़ ही प्राप्त किए गए हैं। विभाग द्वारा या तो एनएचपीसी या फिर बैंक के साथ कोई मिलान नहीं किया गया था जिससे कि भिन्नता का निपटान हो सके और ₹7.14 करोड़ की वसूली सुनिश्चित हो, जो कि सरकारी लेखों में लेखाबद्ध नहीं हो सके थे।

हालांकि, डब्ल्यूआरआरएम नियम 2011 के नियम 57 के अनुसार जहाँ उपयोगकर्ता विद्युत् उत्पादन में संलग्न है और जल उपयोग के भुगतान में चूक करता है तो एईई द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को उपयोगकर्ता के कनेक्शन काटने की सिफारिश की जाएगी, या ऐसे उपयोगकर्ता को जल की आपूर्ति रोक दी जाए, दंडस्वरूप शुल्क के आरोपण या भुगतान न करने पर उपयोगकर्ता पर सरचार्ज या जल उपयोग शुल्क के देरी से किए गए भुगतान संबंधी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार जेकेएसपीडीसी द्वारा जल उपयोग शुल्क के भुगतान न किए जाने पर भी विभाग द्वारा त्रुटिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

#### 2.5.4 उपयोग किए जल की मात्रा के मापन के लिए फ्लो मीटर का संस्थापन न किया जाना

डब्ल्यूआरआरएम अधिनियम, 2010 की धारा 124 के अनुसार आईएंडएफसी विभाग द्वारा विद्युत् परियोजनाओं द्वारा उपयोग किए गए जल की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटरों का संस्थापन किया जाता है। इसके अतिरिक्त डब्ल्यूआरआरएम नियम 2011 के नियम 56 के अनुसार उपयोगकर्ता द्वारा संबन्धित क्षेत्र में उपयोग किए गए जल का प्रभारी कनिष्ठ अभियंता द्वारा मीटर रीडिंग के आधार पर जल उपयोग शुल्क का मूल्यांकन किया जाए।

नमूना जांच की गई डिवीजनों तथा विद्युत् परियोजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि आईएंडएफसी विभाग द्वारा इन विद्युत् परियोजनाओं द्वारा उपयोग किए गए जल की मात्रा को मापने के लिए परियोजना स्थलों<sup>50</sup> पर कोई यंत्र/ मीटर स्थापित नहीं किया गया। विद्युत् उत्पादन के लिए उपयोग किए गए जल की मात्रा मापने हेतु मापन प्रणाली/ यंत्र विद्युत् परियोजनाओं के पास भी उपलब्ध नहीं थे। बिल तैयार करने हेतु उत्तरदायी एईई विद्युत् परियोजनाओं द्वारा उपलब्ध कराए

<sup>49</sup> लाइसेंस शुल्क ₹0.35 करोड़ के बिना

<sup>50</sup> बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (चंद्रकोट), चेनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (चेनानी), सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (रियासी), और सेवा-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (बसोहली)

जल उपयोग के आंकड़ों पर निर्भर थे, परियोजनाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की सत्यता की जांच करने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। विद्युत परियोजनाओं द्वारा प्रत्येक परियोजनाओं के जल उपयोग के आंकड़े तकनीकी विनिर्देशों<sup>51</sup> पर आधारित सूत्र को लागू करके तैयार किए गए जोकि प्रत्येक परियोजना में भिन्न-भिन्न थे। चार नमूना जांच किए गए विद्युत परियोजनाओं में जल उपयोग परिकलन के लिए कोई एकसमान कार्यप्रणाली नहीं थी, वर्णन नीचे दिया गया है:

**तालिका-2.5.1: जल उपयोग शुल्क की गणना की परिवर्तनशील प्रणाली**

क्र. सं.	विद्युत परियोजना का नाम	जल उपयोग शुल्क उगाही हेतु उत्तरदायी आईएंडएफसी विभाग का डिवीजन	जल उपयोग शुल्क की गणना की कार्यप्रणाली
1.	सलाल	धरमारी सिंचाई डिवीजन	वास्तविक विद्युत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए टर्बाइन के निर्धारित प्रवाह और निर्धारित आउटपुट पर आधारित।
2.	सेवा-II	कठुआ सिंचाई डिवीजन	वास्तविक विद्युत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए जनरेटर के निर्धारित प्रवाह और निर्धारित आउटपुट पर आधारित।
3.	बगलिहार-I एवं II	रामबन हाइड्रोलेक्ट्रिक डिवीजन	वास्तविक विद्युत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए जनरेटर के निर्धारित प्रवाह और निर्धारित आउटपुट पर आधारित।
4.	चेन्नई-I, II एवं III	उधमपुर सिंचाई डिवीजन	वास्तविक विद्युत उत्पादन को ध्यान में रखे बिना जल सुचालक के निर्धारित प्रवाह और निर्धारित आउटपुट पर आधारित।

जल उपयोग मापन की असंगत प्रणाली को अपनाने के कारण राज्य के राजस्व पर प्रभाव पर आगे आने वाले पैरा में चर्चा की गई है।

#### 2.5.4.1 ₹61.87 करोड़ के जल उपयोग शुल्क की अल्प उगाही

एचएचपीसी लिमिटेड की इकाई सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड, जिसमें छह टर्बाइन, जिनमें प्रत्येक का निर्धारित आउटपुट 117.5 एमडब्ल्यू, छः जनरेटर जिनकी स्थापित क्षमता 115 एमडब्ल्यू है, को 690 एमडब्ल्यू की क्षमता के साथ स्थापित किया गया। जल उपयोग शुल्क के बिलों को तैयार करने हेतु उत्तरदायी धरमारी सिंचाई डिवीजन पावर परियोजना द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर निर्भर था जबकि जल उपयोग आंकड़ों के अभिकलन के लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा उपयोग किए जल की मात्रा की गणना के लिए जनरेटरों (115 एमडब्ल्यू) के निर्धारित आउटपुट के बजाय टर्बाइनों (117.5 एमडब्ल्यू) के निर्धारित आउटपुट को उपयोग किया गया। एनएचपीसी की अन्य विद्युत परियोजना सेवा-II द्वारा जल उपयोग

<sup>51</sup> टर्बाइन के निर्धारित आउटपुट के साथ तकनीकी विनिर्देश (यांत्रिक उर्जा की मात्रा जो टर्बाइन उत्पन्न कर सके), जनरेटर का निर्धारित आउटपुट (यांत्रिक उर्जा की मात्रा जो जनरेटर उत्पन्न कर सके) और निर्धारित प्रवाह (एक निर्धारित उर्जा की मात्रा को उत्पन्न करने हेतु आवश्यक जल की मात्रा)

आंकड़ों को ज्ञात करने के लिए टर्बाइन के निर्धारित आउटपुट के बजाय जेनेरेटर के निर्धारित आउटपुट का उपयोग किया गया। इसलिए नवंबर 2010 से सितंबर 2016 के बीच सलाल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के प्रति जेनेरेटर के निर्धारित आउटपुट की जगह टर्बाइन के आउटपुट के आधार पर किए गए जल उपयोग आंकड़ों के गलत अभिकलन का परिणाम जल उपयोग शुल्क की ₹46.46 करोड़ की अल्प उगाही के रूप में रहा।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किया गया कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को भेजी गई टैरिफ याचिका (अगस्त 2014) में सलाल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट द्वारा टर्बाइनों का निर्धारित प्रवाह 140 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड वर्णित किया गया परंतु जल उपयोग आंकड़ों की गणना हेतु प्रति टर्बाइन निर्धारित प्रवाह 139 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड माना गया। इस प्रकार 139 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की दर पर टर्बाइन की गलत निर्धारित प्रवाह को ध्यान में रखते हुए जल उपयोग की मात्रा को गलत अभिकलित किया गया, जिसका परिणाम जल उपयोग शुल्क की ₹15.41 करोड़ के अल्प उगाही के रूप में रहा इस पर प्रश्न किए जाने पर, विभाग द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

#### **2.5.4.2 ₹139.82 करोड़ के जल उपयोग शुल्क की गैर उगाही**

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कार्यकारी अभियंता, हाइड्रोलिक डिवीजन आईएंडएफसी रामबन द्वारा बगलिहार हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (बीएचईपी) की चरण-II पर जल उपयोग शुल्क की उगाही नहीं की गई इस तथ्य के बावजूद कि यह विद्युत परियोजना सितंबर 2015 में शुरू हुई थी और सितंबर 2015 से सितंबर 2016 की अवधि के बीच 5,592.44 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का उपयोग किया था। चूंकि बीएचईपी को चरण-II के शीर्ष 90 मीटर से अधिक है, डिवीजन को जेकेएसडब्ल्यूआरआरए द्वारा अधिसूचित (दिसंबर 2014) टैरिफ के अनुसार ₹0.25 प्रति क्यूबिक मीटर की दर से जल उपयोग शुल्क का आरोपण करना अपेक्षित था। डिवीजन द्वारा बीएचईपी के चरण-II पर ₹139.82 करोड़ के जल उपयोग शुल्क की उगाही नहीं की गई थी। संबंधित डिवीजन से जल उपयोग शुल्क की गैर उगाही के कारण संबंधित डिवीजन से प्रतिक्षित थे (दिसंबर 2017)।

#### **2.5.4.3 जल उपयोग शुल्क के किसी भी अभिलेखों के बिना जल उपयोग शुल्क की उगाही**

चिनानी हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट संबंधी जल उपयोग शुल्क की उगाही हेतु उत्तरदायी सिंचाई डिवीजन द्वारा परियोजना द्वारा उपयोग किए गए जल की मात्रा से संबंधित महीने वार आंकड़ों को अनुरक्षित नहीं किया गया था। डिवीजन द्वारा जल के वास्तविक खपत या विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत पर विचार किए

बिना परियोजना के जल संचालन की वहन क्षमता के आधार पर जल उपयोग शुल्क के बिलों को तैयार किया था। चूंकि परियोजना के पास जल उपयोग से संबंधित आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे, लेखापरीक्षा में सिंचाई विभाग उधमपुर द्वारा इस परियोजना के विरुद्ध 2010-11 से 2016-17 के दौरान ₹103.61 करोड़ के जमा किए गए बिलों की सत्यता की जांच नहीं हो सकी। सिंचाई विभाग उधमपुर ने (अप्रैल 2017) उत्तर दिया कि विद्युत निर्माण के लिए उपयोग किए गए जल की यथार्थ मात्रा को फ्लो मीटर के संस्थापन के उपरांत ही ज्ञात किया जा सकता है और इस मामले को उच्चतर प्राधिकारियों के सम्मुख उठाया गया है।

### 2.5.5 जल उपयोग शुल्क निधि का प्रबंधन

डब्ल्यूआरआरएम अधिनियम में अक्टूबर 2012 में संशोधन हुआ था और वित्त विभाग एक निधि के गठन करने हेतु प्राधिकृत था जिसमें ऐसे उपयोगकर्ता जो राज्य में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन करते हैं, से जल उपयोग शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि को जमा किया जाना था। निधि का परिचालन वित्त सचिव द्वारा, सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ विशिष्ट रूप से हाइडल परियोजनाओं, जलविद्युत परियोजनाओं, बहुउद्देशीय जलविद्युत परियोजना की स्थापना तथा राज्य में पहले से स्थापित जलविद्युत परियोजनाओं की वापसी खरीद तथा राज्य में विद्युत संचरण तथा संवितरण तंत्र में पूंजी निवेश के उद्देश्य के लिए होना था। अधिनियम के संशोधन (अक्टूबर 2014) उपरांत राज्य सरकार तथा इसकी एंटीटीज द्वारा, निधि का प्रयोग विद्युत की खरीद पर करना, उद्देश्यों में शामिल किया गया था।

वर्ष 2010-11 से 2016-17 के दौरान एकत्र किए गए ₹3971.63 करोड़ के जल उपयोग शुल्क को जून 2011 से सचिव, पीएचई, आईएंडएफसी विभाग द्वारा अनुरक्षित बैंक बचत खाता<sup>52</sup> में जमा कराया गया था। पीएचसी, आईएंडएफसी विभाग ने ₹45.28 करोड़ का ब्याज अर्जित करने के बाद मार्च 2017 को बैंक खाते में ₹5.99 करोड़ शेष छोड़ते हुए वित्त विभाग को ₹4,010.92 करोड़<sup>53</sup> प्रेषित किए थे।

अधिनियम की धारा 185<sup>54</sup> के प्रावधानों के अनुसार वित्त विभाग ने बैंक बचत खाता<sup>55</sup> खोला था (जनवरी 2013) जिसमें पीएचई, आईएंडएफसी विभाग द्वारा हस्तान्तरित जल उपयोग शुल्क के आधार पर उदगृहीत सभी राजस्व जमा किए गये

<sup>52</sup> जम्मू तथा कश्मीर बैंक, मूविंग सचिवालय शाखा, में खाता सं. 0110040500000014

<sup>53</sup> ₹20 करोड़ जेकेएसपीडीसी से प्राप्त और सीधे वित्त विभाग को जमा किए

<sup>54</sup> अक्टूबर 2012 में अधिनियम में संशोधन द्वारा जोड़ा गया

<sup>55</sup> जम्मू तथा कश्मीर बैंक, मूविंग सचिवालय शाखा में खाता सं. 0110040500000031

थे। वित्त विभाग ने इस निधि में से ₹4159.85 करोड़<sup>56</sup> कुछ कार्यकलापों<sup>57</sup> के लिए आबंटित किए थे और मार्च 2017 को इस बचत बैंक खाता में ₹4.11 करोड़ अंतशेष था।

### 2.5.5.1 निधि का विलम्ब से प्रेषण और खराब प्रबंधन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीएचई, आईएंडएफसी विभाग द्वारा एकत्र किए गए राजस्व को उनके बचत खाते में रखा गया था और 342 दिनों के विलम्ब से वित्त विभाग को भेजा गया था। पीएचई, आईएंडएफसी विभाग द्वारा वित्त विभाग को राजस्व के प्रेषण में वर्ष-वार विलम्ब निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-2.5.2: राजस्व प्रेषण का प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विलंब के बाद वित्त विभाग को प्रेषित राशि				
	3 से 6 माह	3 से 6 माह	6 से 9 माह	9 से 11 माह	कुल
2011-12	52.96	348.71	131.83	0	533.50
2012-13	158.02	427.47	0	0	585.49
2013-14	567.47	0	0	0	567.47
2014-15	0.00	529.09	0	227.94	757.03
2015-16	496.60	9.59	203.93	0	710.12
2016-17	798.02	0	0	0	798.02
कुल	2,073.07	1,314.86	335.76	227.94	3,951.63

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है पीएचई, आईएंडएफसी विभाग द्वारा 2014-15 के दौरान 9 से 11 माह की अवधि के लिए ₹227.94 करोड़ अपने पास रखे गए थे। इसके अलावा ₹335.76 करोड़ छः से नौ माह के बीच की अवधि हेतु रखे गए थे और ₹1314.86 करोड़ का प्रेषण वित्त विभाग को तीन से छः माह के विलम्ब से किया गया था। प्रेषण में विलम्ब अधिनियम/ नियमावली द्वारा अभीष्ट उद्देश्यों हेतु वित्त विभाग द्वारा उपयोग हेतु इन निधियों की अनुपलब्धता के कारण हुआ था।

### 2.5.5.2 कथित उद्देश्यों हेतु निधि के उपयोग की दक्षता एवं प्रभाविकता

विद्युत परियोजनाओं से जल उपयोग शुल्क के तौर पर संकलित राजस्व का उपयोग वित्त विभाग द्वारा डब्ल्यूआरआरएम अधिनियम<sup>58</sup> में परिभाषित उद्देश्यों<sup>59</sup> पर,

<sup>56</sup> बचत/ सावधि जमा पर अर्जित ब्याज शामिल जिनका पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है

<sup>57</sup> ₹100 करोड़ परिसंपत्तियों के निर्माण पर ₹3,338.29 करोड़ विद्युत खरीद पर और ₹721.56 करोड़ अज्ञात उद्देश्य के लिए कॉमन पूल खाते में

<sup>58</sup> अक्टूबर 2012 और अक्टूबर 2014 में यथा संशोधित

<sup>59</sup> हाइडल परियोजनाओं, जल विद्युत परियोजनाओं, बहुप्रयोजी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, राज्य में पहले से ही स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं को वापस खरीदने, राज्य के क्षेत्र के अन्दर विद्युत पारेषण और वितरण नेटवर्क में पूंजी निवेश राज्य का क्षेत्र क्षेत्र और राज्य सरकार या उसकी संस्थाओं द्वारा विद्युत की खरीद

सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाना था। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वित्त विभाग ने विभिन्न कार्यकलापों के लिए ₹4159.85 करोड़<sup>60</sup> आबंटित किए थे जिसमें जेवी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रति राज्य इक्विटी के रूप में जेकेएसपीडीसी को हस्तान्तरित किए गए ₹100 करोड़<sup>61</sup> (2.40 प्रतिशत) तथा विद्युत खरीद के ₹3,338.29 करोड़<sup>62</sup> (80.25 प्रतिशत) भी शामिल थे। ₹721.56 करोड़<sup>63</sup> (17.35 प्रतिशत) की राशि वित्त विभाग द्वारा प्रबंधित कॉमन पूल अकाउंट में हस्तान्तरित की गई थी परन्तु लेखापरीक्षा में इस आबंटित राशि का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका था। इस राशि को जून 2011 से अगस्त 2012 के दौरान कॉमन पूल में हस्तान्तरित कर दिया गया था जबकि अधिनियम में ऐसे व्यय का प्रावधान नहीं किया गया था।

**तालिका-2.5.3: निधियों के उपयोग के ब्यौरे**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय (विद्युत खरीद)	अन्य (कॉमन पूल में हस्तान्तरित)	कुल
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	563.35	563.35
2012-13	-	-	158.21	158.21
2013-14	100.00	-	-	100.00
2014-15	-	600.00	-	600.00
2015-16	-	1,945.29	-	1,945.29
2016-17	-	793.00	-	793.00
<b>कुल (प्रतिशत)</b>	<b>100.00 (2.40)</b>	<b>3,338.29 (80.25)</b>	<b>721.56 (17.35)</b>	<b>4,159.85</b>

निधियों का आबंटन, विद्युत खरीद हेतु 80.25 प्रतिशत, अज्ञात उद्देश्यों हेतु 17.35 प्रतिशत और परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु 2.40 प्रतिशत, दर्शाता है कि निधि का उपयोग मुख्यतया विद्युत खरीद हेतु किया जा रहा है। राज्य जल विद्युत परियोजनाओं को अधिगृहीत या निधि के परिचालन के माध्यम से विद्युत ट्रांसमिशन एवं समवितरण प्रणाली को सुदृढ नहीं कर सका।

डब्ल्यूआरआरएम अधिनियम (संशोधित-2012) की धारा-185ए की शर्तों में प्रशासन सचिव, वित्त विभाग को निधि के परिचालन का अधिकार दिया गया था और उक्त का निर्गमन वित्त सचिव द्वारा जारी अधिकार पत्रों के आधार पर किया गया था जिसमें उन उद्देश्यों का उल्लेख नहीं किया गया था जिसके लिए निधियां जारी की गई थी।

<sup>60</sup> आईएंडएफसी विभाग से प्राप्त ₹4,010.92 और बचत खाता/ सावधि जामा से अर्जित ब्याज

<sup>61</sup> 2013-14: ₹100 करोड़

<sup>62</sup> 2014-15: ₹600 करोड़; 2015-16: ₹1,945.29 करोड़; 2016-17: ₹793 करोड़

<sup>63</sup> 2011-12: ₹563.35 करोड़; 2015-16: ₹158.21 करोड़

### 2.5.6 निष्कर्ष

जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना और वापसी खरीद तथा ट्रांसमिशन एवं समवितरण नेटवर्क में पूंजीगत निवेश के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए, यद्यपि जल उपयोग शुल्क से प्राप्त राजस्व, विद्युत खरीद पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का मोबलाइजेशन साबित हुआ। विद्युत परियोजनाओं के द्वारा उपयोग किए जा रहे जल की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर संस्थापित नहीं किए गए थे और विद्युत परियोजनाओं द्वारा उपयोग किए जा रहे जल के मापन हेतु कोई सुसंगत प्रणाली मौजूद नहीं थी।

मामले को जून 2017 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2017)।

### वित्त विभाग

### 2.6 खरीद के छिपाव के कारण कर का अल्प उद्ग्रहण

मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा दो व्यापारियों द्वारा की गई खरीद के छिपाव को न पकड़ने का परिणाम ₹37.62 लाख कर, ब्याज तथा शास्ति की अल्प उगाही के रूप में रहा।

जम्मू तथा कश्मीर मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिनियम 2005 की धारा 42 में निर्दिष्ट किया जाता है कि जब एक व्यापारी का किसी वर्ष या उसके किसी भाग के लिए धारा 37 से 40 के अंतर्गत मूल्यांकन किया गया हो और मूल्यांकन प्राधिकारी के पास विश्वास करने हेतु ऐसे कारण हो कि किसी अवधि के लिए व्यापारी के टर्नओवर का कोई भाग छूट गया है, मूल्यांकन प्राधिकारी व्यापारी को सुने जाने का उचित अवसर दे और ऐसी जांच पड़ताल करे जो उसे उचित लगे, ऐसे टर्नओवर के संबंध में व्यापारी से देय कर धनराशि के सर्वोचित निर्णय के आंकलन हेतु अधिनियम के प्रावधान जहां तक हो तदनुसार लागू होंगे। आगे अधिनियम की धारा 69(1) (एफ) निर्दिष्ट करती है कि यदि कोई व्यापारी टर्नओवर को छिपाता है या उसके गलत ब्यौरे प्रस्तुत करता है तो उपयुक्त प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को छिपाए कर की दोगुनी धनराशि के बराबर शुल्क या शास्ति स्वरूप कर के अतिरिक्त भुगतान हेतु निर्देश देगा। धारा 37 से 40 के अंतर्गत भुगतान करने में चूक के लिए व्यापारी धारा 51(4) के अंतर्गत ऐसी धनराशि पर दो प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भुगतान हेतु जिम्मेदार होगा।

I. वाणिज्य कर सर्किल 'ई' जम्मू के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2015) से ज्ञात हुआ कि एक व्यापारी<sup>64</sup> ने वर्ष 2010-11 के लिए अपनी वार्षिक विवरणी और व्यापार खाते में ₹73.72 लाख के अंतरराज्यीय सामग्री के हस्तान्तरण को प्रकट किया। तथापि खरीद सामग्री हस्तान्तरण विवरणी की व्यापारी द्वारा जमा की गई 'एफ' फॉर्म तथा वैट 65 के उपभोग विवरणी के साथ प्रतिपरीक्षा से उद्धारित हुआ कि व्यापारी द्वारा उसकी खरीद विवरणी में ₹40.60 लाख मूल्य की खरीद को लेखाबद्ध नहीं किया गया। मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 39(5) के अंतर्गत मूल्यांकन आदेश (मार्च 2014) पारित करने के दौरान खरीद के छिपाव पर ध्यान देने में असफल होने का परिणाम ₹8.14 लाख<sup>65</sup> के कर, ब्याज और शास्ति की अल्प उगाही रहा।

इस मुद्दे को उठाने पर (फरवरी 2015), मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा व्यापारी का अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत पुनः मूल्यांकन (फरवरी 2017) किया और ₹8.94<sup>66</sup> लाख की मांग को उठाया। मूल्यांकन प्राधिकारी ने यह भी बताया (अगस्त 2017) कि व्यापारी ने मांग का भुगतान नहीं किया और अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख कोई अपील भी नहीं की। यह मामला जून 2017 में सरकार/ विभाग को भेजा गया और उप आयुक्त वाणिज्य कर ज्यूडिशल श्रीनगर ने उत्तर (जून 2017) में बताया कि ₹8.94 लाख की मांग को व्यापारी को भेजा गया जिसे वह निर्धारित समयावधि में जमा कराने में असफल रहा। भूमि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली किए जाने हेतु मांग को जिलाधीश को भेजा गया।

II. वाणिज्य कर सर्किल 'जे' जम्मू के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2016) से ज्ञात हुआ कि एक व्यापारी द्वारा 2011-12 के तीसरी व चौथी तिमाही के दौरान उसके 'सी' फार्म उपभोग खाता की अंतरराज्यीय खरीद को छिपाया गया। व्यापारी ने 79,189.50 क्विंटल सीमेन्ट की अंतरराज्यीय खरीद की जिसके लिए वह ₹43.55 लाख<sup>67</sup> के टोल कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी था, उसके व्यापार खाते में प्रतिबन्धित नहीं था। मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 39(5) के अंतर्गत मूल्यांकन आदेश पारित (जून 2014) करने के दौरान खरीद पर ध्यान न देने का परिणाम ₹29.48 लाख<sup>68</sup> के कर ब्याज और शास्ति की अल्प उगाही रहा।

<sup>64</sup> वर्दी की खरीद/ बिक्री में कारोबार

<sup>65</sup> ₹40.60 लाख पर पांच प्रतिशत की दर से कर: ₹2.03 लाख; ब्याज: ₹2.05 लाख; शास्ति: ₹4.06 लाख

<sup>66</sup> कर: ₹2.03 लाख; ब्याज: ₹2.84 लाख; शास्ति: ₹4.06 लाख

<sup>67</sup> 2011 के एसआरओ 119 की शर्तों के अनुसार ₹55 प्रति क्विंटल

<sup>68</sup> कर: ₹7.33 लाख; ब्याज: ₹7.48 लाख; शास्ति: ₹14.67 लाख

लेखापरीक्षा में इसे उठाने पर (अगस्त 2016), मूल्यांकन प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत व्यापारी का पुनः मूल्यांकन (फरवरी 2017) किया और ₹27.20 लाख<sup>69</sup> की मांग को उठाया। इस मामले को सरकार/ विभाग को जून 2017 में भेजा गया और उपायुक्त, वाणिज्य कर (मुख्यालय) श्रीनगर ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि व्यापारी द्वारा कर माफी योजना का लाभ उठाया और अभी तक सात किशतों में ₹6.54 लाख की राशि परिशोधित हुई। हालांकि तथ्य यह है कि एसआरओ 30 दिनांक 1 फरवरी 2017 के अंतर्गत कर माफी योजना को जेएंडके वैट अधिनियम 2005 के अंतर्गत देय बकाया कर के स्वैच्छिक भुगतान को सुगम बनाना था तथा शास्ति और बकाया ब्याज पर करों की छूट उन व्यापारियों के संबंध में स्वीकार्य थी जिन्होंने बकाया कर का भुगतान छः समान मासिक किशतों में किया है जिसकी पहली किशत का भुगतान अधिसूचना के प्रकाशन के एक महीने के अन्दर किया जाना था। पहली किशत के भुगतान में चूक प्रत्यक्ष रूप से योजना से अयोग्यता स्वरूप है। तात्कालिक मामले में व्यापारी का पुनः मूल्यांकन कर माफी योजना के प्रभाव में आने के पश्चात ही 28 फरवरी 2017 को हो पाया।

## 2.7 कर दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण कर का अल्प उद्ग्रहण

मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा एक व्यापारी के मामले में वस्तुओं की बिक्री कर (प्रभावी 13.5 प्रतिशत के बजाय 10.5 प्रतिशत) की गलत दरों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹37.52 लाख के कर तथा उस पर देय ब्याज ₹39.77 लाख की अल्प उगाही हो पाई।

केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 की धारा 8(2) में निर्दिष्ट किया जाता है कि यदि किसी व्यापारी द्वारा अपने टर्नओवर या इसके किसी भाग पर देय कर, जोकि अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री से संबंधित हो, वे अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत नहीं आते हैं, पर उस राज्य के राज्य कर कानून के अंतर्गत उपयुक्त राज्य के अन्दर ऐसी वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर लागू दरें प्रभारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त जम्मू तथा कश्मीर सामान्य बिक्री कर (जीएसटी) अधिनियम 1962 धारा 8(2) के अनुसार यदि कोई व्यापारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अंतर्गत देय कर या अन्य कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता; जिसका भुगतान स्वीकृत अवधि के दौरान किया जाना था, वह व्यापारी या ऐसा कोई व्यक्ति भुगतान की देय तिथि से भुगतान की वास्तविक तिथि तक देय कर या अन्य राशि पर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भुगतान का उत्तरदायी होगा।

<sup>69</sup> कर: ₹6.54 लाख; ब्याज: ₹7.58 लाख; शास्ति: ₹13.08 लाख

वाणिज्य कर सर्किल उधमपुर-1 के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य ठेकों के क्रियान्वयन करने वाले एक व्यापारी द्वारा लेखा वर्ष 2010-11 के दौरान ₹12.51 करोड़ की वस्तुओं की बिक्री की गई। मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन में (मार्च 2015) प्रभावी दरों 13.5 प्रतिशत के बजाय कर की दर 10.5 प्रतिशत प्रभारित की गई जिसका भुगतान व्यापारी द्वारा किया गया। इसका परिणाम ₹37.52 लाख कर तथा उस पर देय ब्याज ₹39.77 लाख<sup>70</sup> सहित की अल्प उगाही के रूप में रहा।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2015 और जनवरी 2017), मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा व्यापारी का पुनः मूल्यांकन (जनवरी 2017) किया गया और व्यापारी के प्रति ₹95.30 लाख<sup>71</sup> की मांग को उठाया।

यह मामला सरकार/ विभाग को अप्रैल 2017 में भेजा गया और उप-आयुक्त वाणिज्य कर ज्यूडिशल, जम्मू ने उत्तर दिया (मई 2017) कि नोटिस भेजे जाने के बावजूद व्यापारी द्वारा बाकी बकायों को जमा नहीं किया गया था और बकायों को भूमि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत जिलाधीश को भेजा गया (अप्रैल 2017)। हालांकि, व्यापारी ने उप-आयुक्त अपील के सम्मुख अपील की और व्यापारी को पर्याप्त अवसर न दिये जाने के आधार पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन प्राधिकारी के आदेश को रद्द कर (मई 2017) दिया है। यह भी बताया गया कि आगे की स्थिति मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा मामले की दोबारा पुनः मूल्यांकन के बाद सूचित की जाएगी।

## 2.8 इनपुट कर क्रेडिट की अनियमित स्वीकृति के कारण अल्प मांग

मूल्यांकन प्राधिकारियों द्वारा तीन व्यापारियों द्वारा उनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों के निलंबन की अवधि के दौरान इनपुट कर क्रेडिट के दावों को स्वीकृत किए जाने का परिणाम ₹30.78 लाख की अल्प मांग के रूप में रहा।

जम्मू तथा कश्मीर मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिनियम 2005 की धारा 27(7) द्वारा निर्दिष्ट है कि जब कोई व्यापारी जिसे पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो, अधिनियम के अंतर्गत किसी कर, शास्ति या देय ब्याज का भुगतान करने में असफल अथवा कोई विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन किया जा सकता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 27(8) के अनुसार निलंबन के 90 दिनों के अन्दर सभी करों के भुगतान पर और अतिदेय विवरणी(यां) के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर व्यापारी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिए जाने उपरांत पंजीकरण के प्रमाण पत्र के निलंबन

<sup>70</sup> 53 महीनों के लिए 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से (अप्रैल 2011 से अगस्त 2015)

<sup>71</sup> कर: ₹37.52 लाख; ब्याज: ₹57.78 लाख

को वापिस लिया जाएगा और पंजीकरण प्रमाण पत्र को पुनः स्थापित किया जाएगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन की अवधि के दौरान एक व्यापारी, पंजीकरण प्रमाण पत्र के प्रभावी होने के समय मिलने वाले लाभों का हकदार नहीं होगा। व्यापारी वैट अधिनियम 2005 की धारा 51(4) और 69(1)(एम) के अंतर्गत ब्याज भुगतान और शास्ति हेतु उत्तरदायी है।

I. वाणिज्य कर सर्किल 'ए' जम्मू के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2017) से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2007-08 के लिए कर का भुगतान ना किए जाने के कारण एक व्यापारी<sup>72</sup> के पंजीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन 18 अक्टूबर 2011 को हुआ और जनवरी 2017 तक पुनः स्थापित नहीं हुआ था। पंजीकरण के निलंबन की अवधि के दौरान व्यापारी अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत इनपुट कर क्रेडिट के दावे का हकदार नहीं था। हालांकि व्यापारी ने ₹2.83 लाख के इनपुट कर क्रेडिट का दावा वर्ष 2012-13 के दौरान किया और मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 39(5) के अंतर्गत मूल्यांकन आदेश को पारित करने (मार्च 2016) के दौरान उसे स्वीकृत किया गया। इस प्रकार इनपुट कर क्रेडिट को अस्वीकृत करने में असफलता का परिणाम ₹11.33 लाख<sup>73</sup> की अल्प मांग रहा।

इंगित किए जाने पर (जनवरी 2017) अपर आयुक्त वाणिज्य कर (मुख्यालय) श्रीनगर ने कहा (सितंबर 2017) कि ₹5.71 लाख के कर और ब्याज की मांग व्यापारी के विरुद्ध उठाई गई है। वैट अधिनियम 2005 की धारा 51(4) और 69(1)(एम) के अनुसार शास्ति भी आरोपित की जानी थी।

II. वाणिज्य कर सर्किल 'एल' जम्मू के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2016) से ज्ञात हुआ कि मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा एक व्यापारी का पंजीकरण प्रमाण पत्र 28 मार्च 2011 से 13 मई 2011 तक और 07 दिसंबर 2013 से 30 जनवरी 2014 तक निलंबित किया गया। तथापि व्यापारी द्वारा जब उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित था उस अवधि के दौरान ₹1.86 लाख<sup>74</sup> के इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया गया और उसकी स्वीकृति मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा व्यापारी के लेखा वर्ष 2011-12 के लिए मूल्यांकन (फरवरी 2015) के लिए तथा वर्ष 2013-14 के स्व मूल्यांकन के अंतर्गत की गई। इस प्रकार इनपुट कर क्रेडिट की अस्वीकृति की असफलता का परिणाम ₹7.14 लाख<sup>75</sup> की अल्प मांग के रूप में रहा।

<sup>72</sup> मोटर वाहनों और स्पेयर पार्ट्स की खरीद/ बिक्री में लेन-देन

<sup>73</sup> कर: ₹2.83 लाख; ब्याज: ₹2.85 लाख; जुर्माना: ₹5.65 लाख

<sup>74</sup> 28 मार्च 2011 से 13 मई 2011 के दौरान ₹0.55 लाख; 07 दिसंबर 2013 से 30 जनवरी 2014 के दौरान: ₹1.31 लाख

<sup>75</sup> कर: ₹1.86 लाख; ब्याज: ₹1.56 लाख; जुर्माना: ₹3.72 लाख

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2016) मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा व्यापारी का पुनः मूल्यांकन (मार्च 2017) अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत लेखा वर्षों 2011-12 और 2013-14 के लिए किया गया तथा ₹7.35 लाख<sup>76</sup> की मांग को उठाया। यह मामला जून 2017 को सरकार/ विभाग को भेजा गया तथा उत्तर में उपायुक्त वाणिज्य कर ज्यूडिशल श्रीनगर ने बताया (जून 2017) कि व्यापारी मांग को देय समय में जमा कराने में असफल रहा और बकायों को वसूली हेतु भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जिलाधीश को भेजा गया।

**III.** वाणिज्य कर सर्किल 'जे' जम्मू के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा एक व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन 07 सितंबर 2011 को किया था जिसका पुनः स्थापन नहीं हो पाया। हालांकि, व्यापारी द्वारा 07 सितंबर 2011 से 31 मार्च 2012 तक जब उसका पंजीकरण निलंबित था, के दौरान की गई खरीद पर ₹3.04 लाख के इनपुट कर क्रेडिट का लाभ वर्ष 2011-12 के लिए अपनी वार्षिक विवरणी के अनुसार उठाया गया। मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए व्यापारी के मूल्यांकन (अगस्त 2014) के दौरान, व्यापारी के इनपुट कर क्रेडिट को अस्वीकृत करने में असफल रहने का परिणाम ₹12.31 लाख<sup>77</sup> की अल्प मांग के रूप में रहा।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2016) मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा व्यापारी का लेखा वर्ष 2011-12 के लिए अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत पुनः मूल्यांकन (मार्च 2017) किया गया और ₹12.42 लाख<sup>78</sup> की मांग को उठाया गया (मई 2017)। यह मामला जून 2017 में सरकार/ विभाग को भेजा गया और उत्तर में अपर आयुक्त वाणिज्य कर (मुख्यालय) श्रीनगर ने कहा (अगस्त 2017) कि, व्यापारी मांग को जमा कराने में असफल रहा और मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा भूमि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली के लिए मामले को जिलाधीश को भेजा गया। जिलाधीश द्वारा मामले की सुनवाई के लिए चूककर्ता व्यापारी को वैधानिक नोटिस जारी किए गए।

<sup>76</sup> कर: ₹1.86 लाख; ब्याज: ₹1.74 लाख; जुर्माना: ₹3.75 लाख

<sup>77</sup> कर: ₹3.05 लाख; ब्याज: ₹3.17 लाख; जुर्माना: ₹6.09 लाख

<sup>78</sup> कर: ₹2.97 लाख; ब्याज: ₹3.50 लाख; जुर्माना: ₹5.94 लाख

## 2.9 टर्नओवर छुपाने के कारण कर, ब्याज और शास्ति का अल्प उद्ग्रहण

मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा एक व्यापारी द्वारा टर्नओवर के छिपाव को न पकड़ पाने का परिणाम ₹5.07 लाख के कर, ब्याज और शास्ति के अल्प उद्ग्रहण के रूप में रहा।

जम्मू तथा कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 (संशोधित 03/2009) की धारा 7, 8 और 17 (एफ) से निर्दिष्ट है कि प्रत्येक व्यापारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित तरीके में अपने टर्नओवर की सत्य एवं सही विवरणी जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि एक व्यापारी बिना किसी कारण अपने टर्नओवर की सही विवरणी को प्रस्तुत करने में असफल हुआ, अथवा उसके द्वारा अपने टर्नओवर के ब्यौरे का छिपाव किया गया, मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा उसे कर के अलावा, शास्ति स्वरूप राशि, जोकि छिपाए कर की राशि से कम न हो परंतु ऐसे कर की राशि के दुगुने से अधिक ना हो, के भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा। इसके अलावा व्यापारी देय कर की तिथि से भुगतान की गई वास्तविक तिथि तक की अवधि के लिए निर्धारित दरों पर ब्याज भुगतान हेतु उत्तरदायी है।

वाणिज्य कर सर्किल, उधमपुर-II के अभिलखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि एक मदिरा व्यापारी द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए प्रथम दो तिमाही विवरणियों में 31 अगस्त 2009 तक ₹33.47 लाख के कर योग्य टर्नओवर को घोषित किया गया था जिसके लिए वह 20 प्रतिशत की दर से कर भुगतान हेतु उत्तरदायी था। 1 सितंबर 2009 के बाद से मदिरा पर बिक्री कर की दरों को बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। व्यापारी द्वारा अपनी वार्षिक विवरणी में वर्ष 2009-10 के दौरान कुल कर योग्य टर्नओवर ₹1.17 करोड़ घोषित किया, जिससे सूचित हुआ कि 1 सितंबर 2009 से 31 मार्च 2010 के दौरान व्यापारी का कुल कर योग्य टर्नओवर ₹83.64 लाख था जिसके लिए वह 25 प्रतिशत की दर कर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। हालांकि, व्यापारी द्वारा कम कर दरों पर बिक्री को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और उच्चतर दरों पर प्रभारित किए जाने वाले कर हेतु बिक्री की मात्रा को छिपाया गया तथा केवल ₹47.30 लाख के कर योग्य टर्नओवर पर 25 प्रतिशत की दर से बिक्री कर का भुगतान किया गया। मूल्यांकन प्राधिकारी व्यापारी के मूल्यांकन के दौरान छिपाव को पकड़ पाने में असफल रहे, जिसका परिणाम ₹5.07 लाख<sup>79</sup> के कर, ब्याज और शास्ति की अल्प उगाही के रूप में रहा।

<sup>79</sup> कर: ₹1.20 लाख; ब्याज: ₹1.47 लाख और जुर्माना: ₹2.40 लाख

इंगित किए जाने पर (जनवरी 2015) मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा औसत दैनिक बिक्री को ध्यान में रखकर व्यापारी का मूल्यांकन किया गया और कर योग्य टर्नओवर ₹1.21 करोड़ को क्रमशः दो वर्गों में निर्धारित किया गया (20 प्रतिशत: ₹50.46 लाख; 25 प्रतिशत: ₹70.65 लाख) और ₹29.55 लाख<sup>80</sup> की अतिरिक्त मांग को व्यापारी के प्रति उठाया गया (सितंबर 2016)।

यह मामला फरवरी 2017 में सरकार/ विभाग को भेजा गया और उप-आयुक्त वाणिज्य कर, जम्मू ने उत्तर दिया (अप्रैल 2017) कि व्यापारी को ₹29.55 लाख के मांग नोटिस को भेजे जाने के बाद व्यापारी द्वारा कर माफी योजना<sup>81</sup> के अंतर्गत ब्याज और शास्ति की छूट को चुना गया और मूल्यांकन वर्षों 2009-10 से 2015-16 से संबंधित ₹1.15 करोड़ के मूल कर को छः समान किशतों में भुगतान करने को स्वीकारा। मूल्यांकन प्राधिकारी ने पुष्टि (जून 2017) की है कि व्यापारी ने कर माफी योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और मूल्यांकन वर्ष 2009-10 से संबंधित ₹1.38 लाख का भुगतान किया है। तथापि, व्यापारी कर माफी योजना के अंतर्गत निर्धारित समय के अन्दर संपूर्ण राशि का भुगतान करने में असफल रहा तथा मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा उसकी ब्याज तथा शास्ति की छूट हेतु प्रार्थना पत्र को रद्द (अगस्त 2017) कर दिया।

<sup>80</sup> कर: ₹8.30 लाख; ब्याज: ₹12.95 लाख और जुर्माना: ₹8.30 लाख

<sup>81</sup> एसआरओ अधिसूचना 360 दिनांक 13 नवंबर 2016 जम्मू व कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत एसआरओ 392 दिनांक 10 दिसंबर 2016 के साथ पढ़े जाएं

## विधि विभाग

### 2.10 स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का अल्प उद्ग्रहण

दो उप-पंजीयकों द्वारा परिसंपत्तियों के 92 मामलों में अधिसूचित बाजार दरों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क प्रभारित न किए जाने का परिणाम ₹39.71 लाख की स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अल्प उद्ग्रहण के रूप में रहा।

स्टाम्प अधिनियम की धारा 3, 4 तथा 5 में वे दस्तावेज निर्दिष्ट हैं जिनपर स्टाम्प शुल्क प्रभारित होती है। अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 18 के अनुसार बाजार मूल्य की 7 प्रतिशत दर पर जहां भूमि या संपदा शहरी क्षेत्र में हो और बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर पर जहां भूमि या संपदा ग्रामीण क्षेत्र में हो, हस्तान्तरण के लिए स्टाम्प शुल्क प्रभारित की जाती है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 78 के अंतर्गत बिक्री विलेखों की निर्धारित दरों पर पंजीकरण शुल्क भी प्रभारित किया गया है। जेएंडके बाजार मूल्य तैयार करना और संशोधन दिशा निर्देश नियमावली 2011<sup>82</sup> के नियम 5 से 8 के अनुसार डिवीजनल आंकलन बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष पहली अप्रैल से प्रभावी बाजार मूल्य दिशा निर्देश और परिसंपत्ति लेनदेनों की संस्वीकृत दरें जारी की जाएगी जिन्हें पंजीकरण कार्यालयों में स्टाम्प शुल्क का प्रभारण करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाएगा।

उप-पंजीयक, शोपियां और उप-पंजीयक, अशमुकाम, पहलगाम के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि दो पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा 2014-15 और 2015-16 के दौरान पंजीकृत बिक्री विलेखों के दस्तावेजों पर, 92 मामलों में संशोधित अधिसूचित बाजार दरों (मार्च 2014, अप्रैल 2014 और मार्च 2015) पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क प्रभारित नहीं किया था जिसका परिणाम ₹39.71 लाख<sup>83</sup> की स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की अल्प उगाही के रूप में रहा।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2015) में इसे उठाए जाने पर उप-पंजीयक शोपियां ने बताया (जुलाई 2015, मार्च 2016 और फरवरी 2017) कि 24 मामलों<sup>84</sup> में ₹5.46 लाख<sup>85</sup> की स्टाम्प इयूटी और पंजीकरण शुल्क की वसूली हो गई और शेष मामलों में नोटिस

<sup>82</sup> एसआरओ 303 दिनांक 04 अक्टूबर 2011

<sup>83</sup> उप-पंजीयक शोपियां (मामलों की संख्या: 29; स्टाम्प इयूटी: ₹6.85 लाख; पंजीकरण शुल्क: ₹1.20 लाख); उप-पंजीयक अशमुकाम पहलगाम (मामलों की संख्या: 63; स्टाम्प इयूटी: ₹26.16 लाख; पंजीकरण शुल्क: ₹5.50 लाख)

<sup>84</sup> 22 मामलों में पूर्ण रूप में और 2 मामलों में आंशिक

<sup>85</sup> स्टाम्प इयूटी: ₹4.56 लाख; पंजीकरण शुल्क: ₹0.90 लाख

जारी किए गए हैं। आगे, ₹2.59 लाख<sup>86</sup> की वसूली अपेक्षित थी (सितंबर 2017)। उप-पंजीयक अशमुकाम ने बताया (जुलाई 2017) कि सभी 63 अल्प उदग्रहीत क्रेताओं के संबंध में जून 2017 में नोटिस जारी किए गये हैं, 10 गवाहों के संबंध में संबंधित क्रेताओं से पावतियाँ प्राप्त हो गयी हैं और उनमें से सभी न्यायालय में अल्प उदग्रहीत राशि को जमा कराने के लिए आए हैं। हालांकि वसूली का विवरण प्रतीक्षित था (सितंबर 2017)।

यह मामला सरकार/ विभाग को अप्रैल 2017 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2017)।

## 2.11 स्टाम्प शुल्क का अल्प उदग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा 39 अपरिवर्तनीय मुख्तार नामों के पंजीकरण में स्टाम्प शुल्क की अनियमित 25 प्रतिशत की कटौती के परिणामस्वरूप ₹6.88 लाख की स्टाम्प शुल्क का कम उदग्रहण किया गया।

स्टाम्प अधिनियम, 1977 की धारा 3, 4 और 5 में वे दस्तावेज निर्दिष्ट हैं जो स्टाम्प शुल्क पर प्रभारित हैं। अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 42(सी) के अनुसार जब किसी मुख्तारनाम पर विचार किया जाए और एजेन्ट को किसी अचल संपत्ति की बिक्री के लिए प्राधिकृत किया जाता है तो तब भूमि या संपदा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो उसके हस्तांतरण रूप में 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभारित की जाएगी अथवा जहां भूमि या संपदा ग्रामीण क्षेत्र की सीमा में आती है वहां 5 प्रतिशत की दर से बाजार मूल्य पर हस्तांतरण रूप में स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाएगा। जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा एसआरओ 152 दिनांक 31 मार्च 2010 के द्वारा परिवार की एक महिला सदस्य के नाम पर भूमि खरीद पर स्टाम्प शुल्क उदग्रहण के संबंध में 25 प्रतिशत की कटौती की स्वीकृति दी गई है।

उप रजिस्ट्रार गांदरबल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि स्टाम्प शुल्क की पूर्ण राशि प्रभारित करने की बजाए पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अचल मुख्तारनामों के पंजीकरण के 39 मामलों, जहां अटॉर्नी धारक एक महिला सदस्य थी, में 25 प्रतिशत की कटौती की अनुमति प्रदान की गई थी। यह अचल मुख्तारनामों के मामले में मान्य नहीं था जैसा कि 25 प्रतिशत की छूट महिला सदस्य के नाम से भूमि खरीद के मामले में स्वीकार्य थी। इसके परिणामस्वरूप ₹6.88 लाख की स्टाम्प शुल्क की कम उगाही हुई।

<sup>86</sup> स्टाम्प ड्यूटी: ₹2.30 लाख; पंजीकरण शुल्क: ₹0.29 लाख

इस विषय पर बताए जाने पर उप रजिस्ट्रार ने बताया (मई 2017) कि संबंधित पार्टियों और स्टाम्प विक्रेताओं को स्टाम्प शुल्क के कम उद्ग्रहण को जमा कराने का निर्देश दिया गया है। आगे यह भी बताया (अगस्त 2017) कि तीन मामलों में ₹0.30 लाख की वसूली की जा चुकी है और शेष मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं।

यह मामला जून 2017 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

## 2.12 स्टाम्प शुल्क की अस्वीकार्य कटौती

पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा फ्लैट की खरीदारी के 33 मामलों में स्टाम्प शुल्क की अनियमित 25 प्रतिशत की कटौती के परिणामस्वरूप ₹11.58 लाख की स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण किया गया।

स्टाम्प अधिनियम, 1977 की धारा 3, 4 और 5 में वे दस्तावेज़ निर्दिष्ट हैं जो स्टाम्प शुल्क पर प्रभारित होते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने एसआरओ 152 दिनांक 31 मार्च 2010 के द्वारा यह निर्देश दिया कि परिवार की महिला सदस्य के नाम पर भूमि खरीद पर प्रभारित की जाने वाली स्टाम्प शुल्क के संबंध में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि, यह छूट महिला सदस्य के नाम पर फ्लैट की खरीद पर लागू नहीं थी।

उप रजिस्ट्रार ज्युडिशल मैजिस्ट्रेट प्रथम क्लास जम्मू के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि स्टाम्प शुल्क की पूर्ण राशि प्रभारित करने की बजाय पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा महिला सदस्य के नाम पर फ्लैट खरीद के 33 मामलों में स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट की स्वीकृति दी गयी, जो फ्लैट की खरीद पर नहीं बल्कि केवल भूमि की खरीद पर मान्य थी। इसके परिणामस्वरूप ₹11.58 लाख के स्टाम्प शुल्क की कम उगाही हुई।

इस विषय में बताए जाने पर उप रजिस्ट्रार ज्युडिशल मैजिस्ट्रेट प्रथम क्लास ने बताया (अप्रैल 2017) कि मामले की जांच जाएगी।

यह मामला जुलाई 2017 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

## परिवहन विभाग

### 2.13 सरकारी धन का दुर्विनियोजन

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जम्मू में अपर्याप्त पर्यवेक्षण तथा निर्धारित नियंत्रण कार्यप्रणाली के अनुपालन के कारण ₹5.09 लाख के टोकन कर का दुर्विनियोजन पाया गया।

जम्मू तथा कश्मीर वित्तीय कोड (जेकेएफसी) खंड-I के नियम 2.1 से 2.15 में नकद और लेखों से संबंधित शुल्क, सरकारी धन की प्राप्ति, इसका संरक्षण और खजाना में भुगतान तथा लेखा नकद बही के रख-रखाव के संबंध में सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं। जेकेएफसी के नियम 2.4 (1) में निर्दिष्ट है कि एक अधिकारी जो कि सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है वह भुगतानकर्ता को फार्म एफसी-I में रसीद प्रदान करेगा, जोकि प्राधिकारी द्वारा विधित हस्ताक्षरित होगा जो रसीद को हस्ताक्षर करते समय और अपने आद्याक्षर करते समय अपने आप को संतुष्ट करेगा कि राशि नकद बही में पूर्णतया प्रविष्ट की गयी है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ), जम्मू के लेखांकन वर्ष 2015-16 के लिए अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि फार्म एफसी-I और अधीनस्थ लेखा बही के प्रति पन्नों के रख-रखाव में कुछ विसंगतियां थी। लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे उदाहरण देखे गए जहां भुगतानकर्ता के विवरण, राशि शब्दों में, प्राप्त राशि हेतु उद्देश्य एवं अवधि, वाहन की श्रेणी, प्राप्त शुल्क/ कर की दर इत्यादि महत्वपूर्ण विवरण, को ना तो कार्यालय द्वारा जारी फार्म एफसी-I को प्रति पन्ने में अभिलेखित किया गया और ना ही सहायक नकद बही में तथा संगृहीत राजस्व के गलत विनियोजन का जोखिम शामिल था। सहायक नकद बही में की गई प्रविष्टियों का मिलान एफसी-I के साथ और संगृहीत करों का निर्धारित दरों से मिलान नहीं किया गया। सहायक नकद बही के आंकड़ों को मुख्य नकद बही में स्वीकार करने से पहले किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा जांच और विधिवत हस्ताक्षरित नहीं किया गया। फार्म एफसी-I रसीद बही के प्रति पन्नों की सहायक लेखा बही के साथ प्रति जांच के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया किया कि संबंधित सहायक द्वारा टोकन कर के आधार पर एकत्रित सरकारी प्राप्तियों को अंतरास्थित/ हटाया गया था, जिस कारण ₹5.09 लाख के टोकन कर का गलत विनियोजन सरल हो गया। एफसी-I बही की प्राप्तियां तथा खपत की निगरानी नहीं की गई और प्रयुक्त बही को संबंधित सहायकों से पुनः वापिस नहीं लिया गया और संबंधित सहायकों के अलावा किसी जिम्मेदार व्यक्ति की निगरानी में नहीं रखा गया।

टोकन कर प्रमाण पत्रों के नवीकरण का कार्य संबंधित सहायक के अलावा किसी उत्तरदायी अधिकारी को सुपुर्द नहीं किया गया था और टोकन कर नवीकरण के अनुमोदन को एआरटीओ<sup>87</sup>/ आरटीओ के प्रतिहस्ताक्षर के बिना वाहन स्वामी के पक्ष में स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, किसी सहायक अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया ताकि एफसी-1। प्रति पन्नों के आधार पर प्राप्त राशि का टोकन के नवीकरण/ विस्तारण द्वारा प्रदान की गई सेवा के साथ मिलान और सहसंबंधित किया जा सके। एफसी-1। बही में पूर्ण विवरण अभिलेखन के अभाव में राजस्व हानि की समुचित राशि और वह अवधि जिसमें वाहनों की वैधता नवीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसे लेखापरीक्षा में उठाए जाने पर, आरटीओ जम्मू ने बताया (जनवरी 2017/ सितम्बर 2017) कि संबंधित सहायक द्वारा ₹5.09 लाख खजाने में प्रेषित किए गए और आगे संवीक्षा उपरांत उसके द्वारा मार्च 2017 और जुलाई 2017 के दौरान ₹1.18 लाख की वसूली की गई। मामले की जांच हेतु एक समिति गठित (जनवरी 2017) की गई जिसने अभी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है।

यह मामला जून 2017 में सरकार/ विभाग को भेजा गया और वित्त निदेशक, परिवहन विभाग ने (जुलाई 2017) परिवहन आयुक्त को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर तत्काल उत्तर प्रस्तुत करने को कहा है। हालांकि उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2017) था।

---

<sup>87</sup> सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी